[2023] 7 एस. सी. आर. 1046

मेसर्स त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड। टीएचआर। आईटीएस

निदेशक श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल

वी.

जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. अपने मूल के माध्यम से

सचिव (वित्त) और ओआरएस।

(2011 की सिविल अपील संख्या 8486)

04 मई, 2023

[एस. रवींद्र भाट और दीपांकर दत्ता, जे. जे.]

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956। 14 , 15 - वित्त अधिनियम, 1988 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985-अनुसूची का अध्याय 21,24

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम,

1957 वित्त अधिनियम, 2001-दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975-तमिल

नाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959-उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 – उपरोक्त राज्य अधिनियमों के तहत पान मसाला या गुटका/गुटका की करयोग्यता-क्या पान मसाला एक छूट प्राप्त वस्तु थी, "तंबाकू" होने के कारण-आयोजित की गईः त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस (पी) लिमिटेड मामले में हिस्सेदारी

कि आगरा बेल्टिंग वर्क्स लाइन के मामलों के बीच कोई टकराव नहीं है,

और कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड मामलों की श्रृंखला, प्रश्न का समापन करती है

डब्ल्यू. आर. टी. में प्रविष्टियों के रूप में शुरू की गई अधिसूचनाओं की प्रभावकारिता/वैधता

अनुसूची (ओं) और उन्हें कर के अधीन करना, जब वे वस्तुएं क़ानून का हिस्सा हों या कर से मुक्त हों-निर्धारकों की दलीलें

इस मुद्दे पर विफल-इसके अलावा, सी. ई. टी. अधिनियम ने स्वयं पान मसाला, चाहे उसमें तंबाकू हो या नहीं, और सभी के बीच अंतर किया।

तंबाकू के रूप-1995 से ही, सी. ई. टी. अधिनियम में पान मसाला (अध्याय 21) और तंबाकू (अध्याय 24) के बीच अंतर था।

बनाया गया-पान मसाला की परिभाषा में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसके बावजूद

इसकी सामग्री में से एक तंबाकू है, फिर भी यह एक होगा

अलग-अलग उपचार प्राप्त किया-वे विनिमेय नहीं हैं या पर्यायवाची अभिव्यक्तियाँ-प्रविष्टि 2404 तंबाकू चबाने को संदर्भित करता है

" आम तौर पर "खारा मसाला" के रूप में जानी जाने वाली व्यंजनों सहित,

" किमाम ',' डोकता ',' जरदा ',' सुखा 'और' सुरती '-गुडकू और स्नूफ को एक अलग शीर्षक के तहत निपटाया गया है-के समावेश का प्रभाव अध्याय 24 में तंबाकू के साथ पान मसाला और साथ ही

अध्याय 21 से उत्पाद को हटाने के साथ-साथ 2001 से 'तंबाकू युक्त पान मसाला' पर ए. डी. ई. लागू करने का अर्थ था

कि उत्पाद (यानी तंबाकू के बिना पान मसाला) के लिए बाहर चला गया

1046 मेसर्स त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड। टीएचआर। इसके निदेशक श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल बनाम। जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. टी. आर. इसका प्रधान सचिव (वित्त)

राज्य बिक्री कर की पहुंच की पहली बार-पूरे समय, पान मसाला और गुटका के रूप में वर्णित वस्तुओं और उत्पादों को अध्याय 21 में शामिल किया गया था-इसलिए, 2001 तक और एडीई की शुरुआत तक, ये दोनों उत्पाद स्थानीय या बिक्री कर शुल्क द्वारा कवर किए गए थे।

2001 , पान मसाला और गुटका अध्याय 21 के अंतर्गत पान मसाला के रूप में आते हैं, भले ही उनमें तंबाकू हो या नहीं।

अध्याय 24 के तहत तंबाकू की वस्तुएं अधिक सामान्य थीं, साथ ही उनमें पान मसाला भी शामिल नहीं था-सी. ई. टी. अधिनियम में 2404.40 लागू करने के बाद किए गए परिवर्तन सी. एस. टी. अधिनियम को प्रभावित या परिवर्तित नहीं करते हैं-इस प्रकार, जहां तक सी. एस. टी. अधिनियम का संबंध है, गुटका और पान मसाला उप-शीर्षक 2404.40 के तहत शामिल नहीं हैं-इस प्रकार, इन तर्कों में कहा गया है कि

निर्धारिती कि स्थानीय कर की दर सी. एस. टी. अधिनियम के तहत सीमा से अधिक नहीं हो सकती है, अस्वीकार कर दिया गया।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 प्रासंगिक समय में, 'पान मसाला' को सुपारी और किसी भी एक या अधिक अन्य व्यंजन के रूप में वर्णित किया गया था।

चूने, कड़ा, काटेचू, इलायची, कोपरा, मेन्थॉल और तंबाकू जैसी सामग्री। यह सी. ई. टी. अधिनियम के तहत पान मसाला की परिभाषा है जो 1995 तक जारी रही। 21.06 शीर्षक में 'पान मसाला' शामिल है जिसमें "चूने, काठा, काटेचू, इलायची, कोपरा, मेन्थॉल और तंबाकू" या इनमें से कोई एक या अधिक सामग्री शामिल है।

उस समय विकल्प और प्रासंगिक उप-शीर्षक 2404.41 था जो तैयारी सहित चबाने वाले तंबाकू से संबंधित है। आम तौर पर खारा मसाला, किमम, डोक्टा, जरदा, सुखा और सुरती के रूप में जाना जाता है। 1995 का संसद अधिनियम 22, प्रतिस्थापित टिप्पणी-3 से

सी. ई. टी. अधिनियम का अध्याय 21। पान मसाला "को" सुपारी और किसी भी एक या अधिक मसालों वाली किसी भी तैयारी के रूप में वर्णित किया गया था।

निम्नलिखित सामग्री, अर्थात। , चूने, कठा, काटेचू या तंबाकू, चाहे उसमें कोई अन्य सामग्री हो या नहीं जैसे कि इलायची, कोपरा और मेन्थॉल "। इसलिए पान मसाला का प्राथमिक घटक सुपारी है, जिसे अन्य अवयवों के साथ संयोजन में या पृथक रूप में मिलाया जा सकता है। यह स्थिति

01.03.1988 पर प्रबल रही। 1995 में, परिभाषा में बदलाव आया। सुपारी "चूने, काठा या तंबाकू" के साथ एक साथ या अलग से आवश्यक घटक बना रहा। उत्पाद में इलायची, कोपरा और मेन्थॉल था या नहीं, यह अप्रासंगिक थाः

फिर भी तीन अवयवों (चूने, कड़ा और तंबाकू) में से एक को 'पान मसाला' के रूप में जानी जाने वाली तैयारी में पाया जाना था। 1996 के संसद अधिनियम 33 द्वारा, अध्याय शीर्षक 24.04 के विवरण और इसके तहत उप-शीर्षकों को फिर से क्रमांकित किया गया था। माल के विवरण को फिर से वर्गीकृत किया गया था। अध्याय 21 में कोई बदलाव नहीं हुआ; शीर्षक 21.06 केवल 'पान मसाला' बना रहा। यह 01.03.2001 से नोट-3 के माध्यम से बदल गया। एडीई अधिनियम की पहली अनुसूची में भाग जे की प्रविष्टि संख्या 2 उप-शीर्षक 2404.49 के समान है जैसा कि 01.03.2001 से संशोधित किया गया है। नतीजतन, "तंबाकू युक्त पान मसाला" पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है। [पारस 46,47 और 49] [1070-जी-एच; 1071-बी-डी; 1072-सी डी]

1.2 जहाँ तक अपीलार्थियों द्वारा तर्क दिए गए पहले बिंदु का संबंध है -

संबंधित, जो है, क्या किसी राज्य के कानून में जिसमें दो प्रावधान हैं: एक जो प्रविष्टियों पर कर लगाता है, और दूसरा जो वस्तुओं को शुल्क से छूट देता है (बाद वाले को अलग से सूचीबद्ध किया जा रहा है, एक अधिसूचना में, या अधिनियम के लिए ही एक अनुसूची), उन वस्तुओं की सूची या अनुसूची में शामिल करना या सम्मिलित करना जिन पर कर लगाया जा सकता है (जैसे डीएसटी अधिनियम की धारा 4) मौजूदा अधिसूचना में संशोधन किए बिना। (धारा 7 डी. एस. टी. के तहत) जिसमें लेवी शामिल नहीं है, क्या लेवी विफल हो जाएगी? इस अदालत के फैसलों की दो पंक्तियों के बीच स्पष्ट संघर्ष था, एक ओर राधेश्याम गुडाखू फैक्ट्री और कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड और दूसरी ओर डीलिंग डेयरी प्रोडक्ट्स, कृष्णा कुथर काबरा और आगरा बेल्टिंग वर्क्स। इस अदालत ने बाद के तीन फैसलों में कहा कि एक प्रविष्टि शुरू करने और इसे शुल्क के अधीन करने वाली अधिसूचना, जब पहले इसे कर कानून के एक अन्य हिस्से में छूट दी गई थी, तो इसका इरादा छूट को वापस लेना और बिक्री को बाद की अधिसूचना में निर्धारित दर पर कर के लिए देय बनाना था। अदालत ने कहा कि यह अनावश्यक है कि अधिसूचना को वापस लेने या रद्द करने के लिए एक विशिष्ट या अलग अधिसूचना जारी की जानी चाहिए। इस संघर्ष को त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस (पी) लिमिटेड बनाम में पांच न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ को भेजा गया था। एन. सी. टी. दिल्ली सरकार (एक मामला, जो इसका हिस्सा है)

उपस्थित

बैच)। यह अभिनिर्णय, कि आगरा बेल्टिंग वर्क्स लाइन ऑफ केस और कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड लाइन ऑफ केस के बीच कोई टकराव नहीं है, इसलिए, अधिसूचना की प्रभावकारिता या वैधता के संबंध में पूछे गए प्रश्न का समापन करता है।

अनुसूची (ओं) और उन्हें कर के अधीन करना, जब वे वस्तुएं मेसर्स त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड हों।

टीएचआर। इसके निदेशक श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल बनाम। जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. टी. आर. इसका प्रधान सचिव (वित्त)

कानून का हिस्सा या कराधान से मुक्त हैं। इसलिए, इस मुद्दे पर निर्धारिती की दलीलें विफल हो जाती हैं। [पारस 53-55] [1074-GH; 1075-A-C]

त्रिमूर्ति सुगंध (पी) लिमिटेड v. एन. सी. टी. दिल्ली सरकार [2022] 15 एस. सी. आर. 516 ने इसका अनुसरण किया।

उड़ीसा राज्य बनाम। राधेश्याम गुडाखु फैक्ट्री (2018) 11 एस. सी. सी. 505; आयुक्त, बिक्री कर, यू. पी. बनाम आगरा बेल्टिंग वर्क्स [1987] 3 एस. सी. आर. 93; बिक्री कर अधिकारी, सेक्टर IX, कानपुर बनाम। डेयरी उत्पादों का सौदा करना और ए. एन. आर. (1994) 2 पूरक एस. सी. सी. 639; बिहार राज्य बनाम। कृष्ण कुथर काबरा (1997) 9 एस. सी. सी. 763-संदर्भित।

2. पान मसाला का उल्लेख पहली बार अध्याय 21 में, 1995 में सी. ई. टी. अधिनियम में स्पष्ट रूप से किया गया था। नोट 3 ने 'पान मसाला' को "किसी भी तैयारी के रूप में परिभाषित किया है जिसमें सुपारी और निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक सामग्री, जैसे कि चूने, काठा (कैटेचू) और तंबाकू, जिसमें कोई अन्य सामग्री हो या न हो"। हालाँकि, उसी समय, अध्याय 24 में एक विशिष्ट प्रविष्टि "तंबाकू" थी जिसमें तंबाकू, निर्मित तंबाकू, विकल्प आदि की गणना की गई थी। उस समय प्रासंगिक उपशीर्षक 2404.41 था जिसमें चबाने वाले तंबाकू की गणना की गई थी, जिसमें आम तौर पर चबाए जाने वाले तंबाकू के रूप में जानी जाने वाली तैयारी भी शामिल थी। खारा मसाला, किमम, डोक्टा, जरदा, सुखा और सुरती। इस प्रकार, सी. ई. टी. अधिनियम ने स्वयं पान मसाला-चाहे उसमें तंबाकू हो या नहीं, और सभी प्रकार के तंबाकू के बीच अंतर किया। 1995 से, सी. ई. टी. अधिनियम में पान मसाला (अध्याय) के बीच अंतर

21) और तंबाकू (अध्याय 24) बनाया गया था। पान मसाला की परिभाषा में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसकी एक सामग्री तंबाकू होने के बावजूद, यह एक अलग वस्तु होगी। पूरे समय (2001 तक), "पान मसाला" और चबाने वाले तंबाकू को अलग-अलग उपचार मिला है। वे विनिमेय या पर्यायवाची नहीं हैं।

अभिव्यक्तियाँ। प्रविष्टि 2404 चबाने वाले तंबाकू को संदर्भित करता है "जिसमें आम तौर पर" खारा मसाला "," किमम "," डोकता "," जरदा "," सुखा "और" सुरती "के रूप में जानी जाने वाली तैयारी शामिल हैं। गुडकू और स्नूफ को एक अलग शीर्षक के तहत निपटाया जाता है। समावेशन का प्रभाव

अध्याय 24 में तंबाकू के साथ पान मसाला और साथ ही अध्याय 21 से उस उत्पाद का बहिष्कार, साथ ही साथ लागू करना 2001 से 'तंबाकू युक्त पान मसाला' पर एडीई का मतलब था कि उत्पाद (यानी तंबाकू के बिना पान मसाला) पहली बार राज्य बिक्री कर की पहुंच से बाहर चला गया।

व्याख्यात्मक नियम, विशेष रूप से नियम 3 (ए) यह स्पष्ट है कि सबसे सटीक विवरण प्रदान करने वाले शीर्षक का पालन करना होगा। वर्तमान मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2001 से पहले, पान मसाला और गुटका पान मसाला के रूप में अध्याय 21 के भीतर आते थे, भले ही उनमें तंबाकू हो। अध्याय 24 के तहत वर्गीकृत की जाने वाली वस्तुएं, यानी तंबाकू की वस्तुएं अधिक सामान्य थीं। उन्होंने पान मसाला भी शामिल नहीं किया। जहां तक कर की दर के सवाल का सवाल है, धारा 15 सी. एस. टी. अधिनियम के तहत प्रतिबंधों को देखते हुए, सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 14 के तहत न तो गुटका और न ही पान मसाला को "घोषित माल" घोषित किया गया था। सीईटी अधिनियम में संशोधन धारा 14 (ix) का हिस्सा नहीं बना। सी. ई. टी. अधिनियम के प्रासंगिक उप-शीर्षकों के तहत माल घोषित वस्तुओं की सूची में अनुपस्थित थे। सी. एस. टी. अधिनियम के माल; वे वित्त अधिनियम, 1988 में पेश किए गए प्रावधानों का हिस्सा नहीं थे। इसलिए, सी. ई. टी. अधिनियम में 2404.40 लागू करने के बाद किए गए परिवर्तन प्रभावित नहीं करते हैं।

या सी. एस. टी. अधिनियम में परिवर्तन करें। नतीजतन, जहां तक सी. एस. टी. अधिनियम का संबंध है, गुटका और पान मसाला उपशीर्षक 2404.40 के अंतर्गत नहीं आते हैं। परिणामस्वरूप निर्धारिती के तर्क कि स्थानीय कर की दर सी. एस. टी. अधिनियम के तहत सीमा से अधिक नहीं हो सकती है, को अपरिवर्तित के रूप में खारिज कर दिया जाता है। [पैरा 56,62,63] [1076-बी-डी; 1078-ए-डी; 1080-डी-जी]

पायनियर लैंड एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाम भारत संघ

एपी सरकार (2000) 9 एससीसी 263; महालक्ष्मी ऑयल मिल्स बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य [1988] 2 पूरक

एस. सी. आर. 1088; पी. कासिलिंगम बनाम। पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी [1995] 2 एससीआर 1061; केंद्रीय उत्पाद शुल्क नागपुर के कलेक्टर बनाम। सिम्प्लेक्स मिल्स कं. लिमिटेड [2005] 2 एससीआर 441; टाटा स्काई लिमिटेड बनाम। मध्य प्रदेश राज्य [2013] 2 एस. सी. आर. 849; रिलायंस ट्रेडिंग कंपनी बनाम। केरल राज्य (2011)

15 एस. सी. सी. 762; नरोत्तमदास बनाम। मध्य प्रदेश राज्य

& ओआरएस। [1964] 7 एस. सी. आर. 820; गिरनार ट्रेडर्स (3) बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य। [2011] 3 एस. सी. आर. 1; पप्पु मिठाई

और बिस्किट्स वी।

व्यापार कर आयुक्त, यू. पी., मेसर्स त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड। टीएचआर। इसके निदेशक श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल बनाम। जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. टी. आर. आईटी

प्रधान सचिव (वित्त)

लखनऊ [1998] 2 पूरक। एससीआर 119; मध्य प्रदेश

वी. एम. वी. नरसिम्हन [1976] 1 एससीआर 6; नागपुर

सुधार न्यास v. वसंतराव [2002] 2 पूरक एस. सी. आर. 636;

यू. पी. आवास एवं विकास परिषद बनाम जैनुल इस्लाम और अन्र [1998] 1 एस. सी. आर. 254-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2000) 9 एससीसी 263

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

(2018) 11 एससीसी 505

पैरा 14

संदर्भित किया गया है

[1987] 3 एससीआर 93

पैरा 17

संदर्भित किया गया है

(1994) 2 पूरक एस. सी. सी. 639

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

(1997) 9 एस. सी. सी. 763

पैरा 17

संदर्भित किया गया है

[1988] पूरक 2 एस. सी. आर. 1088

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

[2013] 2 एससीआर 849

संदर्भित किया गया है

पैरा 30

(2011) 15 एस. सी. सी. 762

पैरा 30

संदर्भित किया गया है

[1964] 7 एससीआर 820

संदर्भित किया गया है

पैरा 33

[2011] 3 एससीआर 1

पैरा 33

संदर्भित किया गया है

[1998] 2 पूरक। एससीआर 119

पैरा 34

संदर्भित किया गया है

[1976] 1 एससीआर 6

पैरा 43

संदर्भित किया गया है

[2002] 2 पूरक एस. सी. आर. 636

संदर्भित किया गया है

पैरा 43

[1998] 1 एससीआर 254

संदर्भित किया गया है

पैरा 43

[2022] 15 एससीआर 516

पीछा किया।

पैरा 54

[1995] 2 एससीआर 1061

संदर्भित किया गया है

पैरा 58

[2019] 10 एससीआर 381

पैरा 59

संदर्भित किया गया है

[2005] 2 एससीआर 441

संदर्भित किया गया है

पैरा 61

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 84

2011 से।

उच्च निगम के 05.04.2006 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2005 की रिट याचिका (सी) संख्या 2925 में नई दिल्ली में दिल्ली सरकार की ओर से।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपील सं। 8485 , 8487 , 8488 , 8491-8494 , 8495 , 8496-8501 , 8502 2011 का 8617,2014 का 10374-10379 और 2023 का 289।

ध्रुव अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , माधव भाटिया, आदित्य पांडे, सुश्री भारती त्यागी, पवनश्री अग्रवाल, सुश्री शुभांगी नेगी, श्रीमती.

प्रभा स्वामी, श्वेतांक शैलकवाल, निशित अग्रवाल, कनिष्क मित्तल, सुश्री वन्या, जैद रजा, विपिन कुमार जय, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., श्रीमती प्रियंका प्रकाश, नलिन तलवार, प्रवीण कुमार, सुश्री सुनैना कुमार, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। आर. वेंकटरमानी, ए. जी., एन. वेंकटरमण, ए. एस. जी., अरिजीत प्रसाद, आर. के. रायजादा, के. राधा कृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मुकेश कुमार मरोरिया, रुपेश कुमार, कानू अग्रवाल, वी. चंद्र शेखर भारती, एच. आर. राव, जोहेब हुसैन, एच. राघवेंद्र बजाज, सुश्री अमृता विजय कुमार, विकास बंसल, एम. योगेश कन्ना, भक्ति वर्धन सिंह, वी. एम. विष्णु, अंकित, सबरीश सुब्रमण्यन, विष्णु उन्नीकृष्णन, सुश्री शिवानी जेना, नमन द्विवेदी, पी. शंकर, आर. नेदुमारन, गुरमीत सिंह मक्कर, सुश्री कन्नू अग्रवाल, अरिजीत प्रसाद, सुश्री वी. सी. भारती, एच. आर. राव, जोहेब हुसैन, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
एस. रवींद्र भाट, जे.

1. यह निर्णय पान मसाला की कर योग्यता के सवाल पर तीन उच्च न्यायालयों के फैसलों से उत्पन्न अपीलों का निपटारा करेगा या

गुटका/गुटका ', राज्य अधिनियमों के तहत। अपीलकर्ताओं ने असफल तर्क दिया कि राज्य विधानसभाओं को उन वस्तुओं पर बिक्री कर लगाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान में संघ को उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क लगाने में सक्षम बनाने के प्रावधान हैं, और आगे यह कि किसी भी मामले में, राज्य कर की दर केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो सकती है।

संक्षिप्त तथ्य

2. केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (इसके बाद "सी. एस. टी. अधिनियम"), केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (इसके बाद "सी. ई. टी. अधिनियम") और उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क (विशेष महत्व के सामान) अधिनियम, 1957 (इसके बाद "ए. डी. ई. अधिनियम") प्रासंगिक केंद्रीय अधिनियम हैं। विचाराधीन राज्य अधिनियम दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 (इसके

बाद) हैं। 1 जिसे क्षेत्रीय संदर्भों में 'गुटका' या 'गुटका' या 'गुटका' के रूप में अलग-अलग लिखा जाता है, सुविधा के लिए, इसे बाद में समान रूप से 'गुटका' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

/ एस. त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड। टीएचआर। इसके निदेशक श्री अदीप कुमार अग्रवाल बनाम। जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. टी. आर. इसका प्रधान सचिव (वित्त) [एस. रवींद्र भाट, जे.]टी अधिनियम); तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959 (इसके बाद जी. एस. टी. अधिनियम) और उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (इसके बाद)

सी. टी. अधिनियम ")।

3. सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 14 कुछ वस्तुओं को सभी महत्व का घोषित करती है और धारा 15 वस्तुओं पर कराधान की शक्ति को प्रतिबंधित करती है। मूल रूप से सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 14 (ix) निम्नानुसार हैः

" (ix) तंबाकू, जैसा कि पहली अनुसूची की वस्तु संख्या 4 में परिभाषित किया गया है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और बिक्री अधिनियम, 1944 (1944 का 1) "

सी. ई. टी. अधिनियम की प्रविष्टि 4, जो 'तंबाकू' को परिभाषित करती है, निम्नानुसार हैः

" 4. तंबाकू

" तम्बाकू का अर्थ है तंबाकू का कोई भी रूप, चाहे वह ठीक हो या ठीक हो।

असुरक्षित और क्या निर्मित या नहीं और इसमें शामिल हैं

तंबाकू के पौधे के पत्ते, डंठल और तने, लेकिन नहीं

तम्बाकू के पौधे के किसी भी हिस्से को शामिल करें जबकि अभी भी उससे जुड़ा हुआ है

पृथ्वी।

.....

..... (5) तंबाकू चबाना, जिसमें आम तौर पर तैयार की जाने वाली चीज़ें भी शामिल हैं

"खारा मसाला" के नाम से जाना जाता है। किमाम "", डोकता "", ज़रदा "।

" सुखा "और" सुरती "।

4. वित्त अधिनियम, 1988 (केंद्रीय अधिनियम सं. 26/1988) ने सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 14 (ix) में अभिव्यक्तियों को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित कियाः

एस, डब्ल्यू. ई. एफ. 13.05.1988:

“ 14 (ix)। गैर-निर्मित तंबाकू और तंबाकू के कचरे को ढक दिया गया

उप-शीर्षक संख्या के तहत कवर किया गया। 2404.41 , 2404.50 और 2404.60 केंद्रीय उत्पाद शुल्क शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची।

5. सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 14 में 1988 का संशोधन उस कानून में वस्तुओं के विवरण को [2023] 7 एस. सी. आर. में विवरण के साथ संरेखित करने के लिए था।

सी. ई. टी. अधिनियम, जैसा कि वित्त विधेयक, 1988 से स्पष्ट है। सी. ई. टी. अधिनियम के शीर्षक 24.04 में मूल रूप से "ब्रांड नाम के साथ गुडकू" शामिल किया गया था और

बिना ब्रांड नाम के "(प्रविष्टियाँ 2404.11 और 2404.12); कटा हुआ तंबाकू (प्रविष्टि 2404.13); हुक्का तंबाकू, चबाने वाला तंबाकू (खारा मसाला, खिमन, डोक्टा, जरदा और सुरती के रूप में जानी जाने वाली तैयारी सहित)

2404.39) ; स्नूफ (प्रविष्टि 2404.49); और तंबाकू की स्नूफ (प्रविष्टि 2404.50)। चबाने वाले तंबाकू के संबंध में प्रविष्टि को डब्ल्यू. ई. एफ. 1993-94 में संशोधित किया गया था।

6. वित्त अधिनियम, 1995 द्वारा, 'पान मसाला' को शीर्षक 21.06 के तहत लाया गया था। वर्ष 1995 में चौथी अनुसूची में संशोधन किया गया था।

और अध्याय 21 में सुसंगत खंड (8) निम्नानुसार हैः

" (8) अध्याय 21 में -

(i) नोट 3 के लिए, निम्नलिखित नोट को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

अर्थात्ः

' 3. इस अध्याय में 'पान मसाला' का अर्थ है कोई भी तैयारी।

जिसमें सुपारी और निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक हो सामग्री, अर्थात् चूने, कथा (कैटेचू) और तंबाकू,

चाहे उसमें कोई अन्य सामग्री हो या नहीं, जैसे कि

इलायची, कोपरा और मेन्थॉल '।

अध्याय XXIV में खंड (10) इस प्रकार हैः

(i) नोट 2 के लिए, अंकों और शब्द '24.02,24.03 और 24.04' के लिए, आंकड़े और शब्द '24.01,24.02,24.03 और 24.04'

प्रतिस्थापित किया जाएगा "।

अध्याय 21 में खंड (9) इस प्रकार हैः

" (i) शीर्ष संख्या के लिए। 21.06 और 21.07 और संबंधित प्रविष्टियाँ

इसमें निम्नलिखित शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:

21.06 2106.00 ' पान मसाला '50 प्रतिशत'

वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 ने निम्नलिखित में प्रविष्टि को फिर से बदल दिया:

तरीका -

“ (7) अध्याय 24 में, नोट 4 के बाद, निम्नलिखित नोट होगा

सम्मिलित किया जाए, अर्थात्: 5. इस अध्याय में, 'पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण'

उपशीर्षक संख्या 2404.10 में 'गुडकू' शामिल नहीं है।

/ एस. त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड। टीएचआर। इसके निदेशक एडीईपी कुमार अग्रवाल बनाम। जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. टी. एच.

प्रधान सचिव (वित्त) [एस. रवींद्र भाट,

" (iii) शीर्षक संख्या 24.03 और संबंधित प्रविष्टियों के लिए

निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

उप-शीर्षक माल दर का विवरण

िंग

नहीं।

(3)

(2)

(

अन्य निर्मित तंबाकू

04

निर्मित तंबाकू

स्टैट्यूट्स; सजातीय या गठित 'तंबाकू,

कैक्ट और सार

तंबाकू चबाना और

4.40

405

शामिल समानताएँ वेंग तंबाकू

वित्त अधिनियम, 2001 से संबंधित उद्धरण, जो

परिवर्तनों को इस प्रकार पढ़ें -

चौथी अनुसूची

भाग-I केंद्रीय उत्पाद शुल्क एसी की पहली अनुसूची में।

(1) अध्याय 21 में, नोट 3 के लिए, निम्नलिखित नोट

प्रतिस्थापित, अर्थात्:

3. इस अध्याय में 'पान मसाला' का अर्थ है कोई भी तैयारी।

सामग्री, अर्थात्: ((i) चूने; और

((ii) कट्टा (कैटेचू),

लेकिन तंबाकू नहीं, चाहे वह हो या न हो

इलायची, कोपरा और मेन्थॉल जैसी सामग्री ", (2) अध्याय 24 में, नोट 5 के बाद, निम्नलिखित सं.

सम्मिलित किया जाए, अर्थात्:

6. इस अध्याय में, 'पान मसाला' में निम्नलिखित शामिल हैं -

आमतौर पर 'गुटका' या किसी अन्य नाम से जाना जाता है [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुपारी और तंबाकू वाली कोई भी तैयारी निम्नलिखित में से एक या अधिक सामग्री, अर्थात्:

((i) चूने; और

((ii) कट्टा (कैटेचू),

इलायची, कोपरा और मेन्थॉल "। उपरोक्त उत्पादों पर 16 प्रतिशत का विशेष उत्पाद शुल्क भी लगाया गया था।

छठी अनुसूची के भाग II में उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, पांचवीं अनुसूची में लगाया गया है:

शीर्षक

उप-शीर्षक

माल का विवरण शुल्क की दर

नहीं।

नहीं।

(2)

(3)

(1)

(4)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची में, (1) अध्याय 24 में, उपशीर्षक संख्या 2404.40 के लिए और

उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निम्नलिखित होंगी:

प्रतिस्थापित, अर्थात्:

" - तंबाकू चबाना और तैयार करना

तंबाकू चबाना; तंबाकू युक्त 'पान मसाला'

तंबाकू चबाना और तैयारी

16 %

2404.41

चबाने वाला तंबाकू

' तंबाकू युक्त 'पान मसाला'

16 /

2404.49

== | |

दिल्ली की अपीलों का समूहः शांति सुगंध 2, ट्रिमर्ट

खुशबू 3, कुबेर टोबैको, सनराइज फूड प्रोडक्ट्स और धरम पाल सत्यपाल

7. अपीलों के इस समूह में, शिकायत पाँच के संबंध में है

डीएसटी अधिनियम की व्याख्या पर दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय

सी. ए. सं. 8485/2011, डब्ल्यू. पी. (सी) सं. में दिनांकित 05.11.2004 के विवादित फैसले के खिलाफ

11251/2004 (डीएचसी)।

3 सी. ए. सं. 8486/2011, डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 2925/2005 (डी. एच. सी.) में दिनांकित 05.04.2006 के विवादित निर्णय के विरुद्ध

4सी. ए. सं. 8491-94/2011, डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 17886/2006 (डी. एच. सी.) में दिनांकित 01.12.2006 के विवादित फैसले के खिलाफ; और सी. ए. सं. 8487/2011, डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 23698/2005 (डी. एच. सी.) में दिनांकित 05.04.2006 के विवादित फैसले के खिलाफ।

5 सी. ए. सं. 8488/2011, डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 9837/2005 (डी. एच. सी.) में दिनांकित 05.04.2006 के विवादित फैसले के खिलाफ।

6 सी. ए. सं. 8495/2011, डब्ल्यू. पी. (सी) 7883 2007 (डी. एच. सी.) में दिनांकित 14.11.2007 के विवादित फैसले के खिलाफ।

मेसर्स त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड। टीएचआर। इसके निदेशक श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल बनाम। जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. टी. आर. इसका प्रधान सचिव (वित्त) [एस. रवींद्र भाट, जे.]

अपील के संबंध में सबसे पहला निर्णय दिया गया था मेसर्स शांति फ्रेग्रेन्स; बाद के फैसलों ने उस मामले में फैसले को दोहराया है।

8. डी. एस. टी. अधिनियम की धारा 3 प्रत्येक पर स्थानीय बिक्री कर लगाती है।

व्यापारी जिसका कारोबार अधिसूचना में निर्दिष्ट सीमा से अधिक है, और जो डी. एस. टी. अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके बाद हुई सभी बिक्री पर सी. एस. टी. अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए पंजीकृत है या उत्तरदायी है। धारा 3 (6) इस प्रकार हैः

" कोई भी व्यापारी जो तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं के एक या अधिक वर्गों पर विशेष रूप से सौदा करता है, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

इस अधिनियम के तहत कोई भी कर।

डी. एस. टी. की धारा 7 इस प्रकार हैः

" 7. कर मुक्त वस्तुएँ

(1) इस अधिनियम के तहत तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री पर शर्तों के अधीन कोई कर देय नहीं होगा और

अपवाद, यदि कोई हो, तो उसमें निर्धारित किए गए हैं।

(2) [उपराज्यपाल] सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तीसरी अनुसूची में या तो पूर्वव्यापी या संभावित रूप से जोड़ सकता है या उसमें से हटा सकता है या अन्यथा संशोधन कर सकता है और उसके बाद तीसरी अनुसूची को संशोधित माना जाएगा।

बशर्ते कि ऐसा कोई संशोधन पूर्वव्यापी रूप से नहीं किया जाएगा यदि इसका प्रभाव किसी भी व्यापारी के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का होगा।

तीसरी अनुसूची की प्रविष्टि 22 इस प्रकार हैः

" 22. केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक के तहत परिभाषित तंबाकू

अधिनियम, 1944 (1944 का 1)। ”

9. इसलिए, डी. एस. टी. अधिनियम के प्रावधानों के समग्र अध्ययन का प्रभाव, प्रथम दृष्टया, यह है कि सभी विक्रेता जिनका कारोबार सीमा से अधिक है।

प्रासंगिक अवधि, राज्य या स्थानीय बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। की धारा 3 (6) 7 "प्रशासक, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ और अधिसूचना सं। एफ4 (120)/94-फिन। (जी)/2137 से 2145 दिनांक 02.03.1998।

अधिनियम में कहा गया है कि जो व्यापारी विशेष रूप से तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं का सौदा करता है, वह कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

10. सक्षम प्राधिकारी अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जारी दिनांक 31.03.2000 की अधिसूचना द्वारा

(इसके बाद "एन. सी. टी. डी".), प्रविष्टि 46 को डी. एस. टी. अधिनियम की पहली अनुसूची में जोड़ा गया था। वह प्रविष्टि इस प्रकार हैः

" 46. पान मसाला और गुटका

11. पहली अनुसूची पर डी. एस. टी. की धारा 4 के तहत विचार किया जाता है।

अधिनियम ("कर की दर") यह मोटे तौर पर [धारा 4 (1) (ए) द्वारा] यह अधिनियमित करता है कि कर योग्य कारोबार "पहली अनुसूची में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में"

यह 12 पैसे प्रति रुपये की दर से होगा। इस प्रकार, पहली अनुसूची में सूचीबद्ध वस्तुओं पर डी. एस. टी. अधिनियम के तहत 12 प्रतिशत की दर से स्थानीय या राज्य बिक्री कर लगाया जाता है। इसी तरह, तीसरे में संदर्भित माल

12. अपीलकर्ताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि तंबाकू का उल्लेख क्र. सं. की तीसरी अनुसूची में किया गया है। नं. 22 और वह अभिव्यक्ति (तंबाकू) वह है जिसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (इसके बाद "सी. ई. ए".) के तहत परिभाषित किया गया है। नतीजतन, "तंबाकू" का पता लगाने के लिए, किसी को सी. ई. टी. अधिनियम की अनुसूची के अध्याय 24 के साथ सी. ई. ए. का उल्लेख करना होगा। अध्याय टिप्पणी 3 निम्नानुसार हैः

" इस अध्याय में 'तंबाकू' का अर्थ है तंबाकू का कोई भी रूप, चाहे वह ठीक किया गया हो या ठीक नहीं किया गया हो और चाहे वह निर्मित हो या नहीं,

और इसमें तंबाकू के पौधे की पत्ती, डंठल और डंठल शामिल हैं,

लेकिन अभी भी तंबाकू के पौधे का कोई भी हिस्सा शामिल नहीं है

पृथ्वी से जुड़ा हुआ। ”

13. अध्याय टिप्पणी 6 इस प्रकार हैः

" इस अध्याय में, "तंबाकू युक्त पान मसाला",

आमतौर पर 'गुटका' के रूप में या किसी अन्य नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है कोई भी तैयारी जिसमें सुपारी और तंबाकू और कोई भी चीज़ हो।

निम्नलिखित में से एक या अधिक सामग्री, अर्थात्:

((i) चूने; और

(ii) कट्टा (कैटेचू), मेसर्स त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड। टीएचआर। इसके निदेशक श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल बनाम। जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. टी. आर. इसका प्रधान सचिव (वित्त) [एस. रवींद्र भाट, जे.]

चाहे उसमें कोई अन्य सामग्री हो या नहीं, जैसे कि

इलायची, कोपरा और मेन्थॉल। ”

अध्याय 24 में शीर्षक संख्या 2404.49 शामिल है, जो निम्नानुसार हैः

" तंबाकू युक्त पान मसाला "

14. अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह किया था कि "गुटका" "तंबाकू" है और कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड पर निर्भर है। सरकार की ए. पी. 8 और उड़ीसा राज्य बनाम। राधेश्याम गुडाखु कारखाना। राधेश्याम गुदाखु फैक्ट्री (उपरोक्त) में इस अदालत ने कहा कि एडीई अधिनियम की धारा 2 (सी) में "तंबाकू" का अर्थ सीईटी अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 9 में माल है जो इस प्रकार हैः

" 'तंबाकू' का अर्थ है तंबाकू का कोई भी रूप, चाहे वह ठीक किया गया हो या ठीक नहीं किया गया हो और चाहे वह निर्मित हो या नहीं, और इसमें तंबाकू के पौधे का पत्ता, डंठल और तने शामिल हैं, लेकिन इसमें तंबाकू के पौधे का कोई भी हिस्सा शामिल नहीं है, जबकि अभी भी तंबाकू के पौधे से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी "।

15. राधेश्याम गुडाखु फैक्ट्री (ऊपर) में मुद्दा यह था कि क्या 'गुडाक्कू' को ए. डी. ई. अधिनियम में परिभाषित 'तंबाकू' अभिव्यक्ति द्वारा कवर किया गया था। अदालत ने माना कि "गुडकू" धूम्रपान करने वाले तंबाकू का एक रूप है और आम बोलचाल में तंबाकू का एक उत्पाद है। न्यायालय के समक्ष इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि "तंबाकू" में "गुटका" शामिल नहीं है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि "गुटका" और "गुडकू" दोनों अभिव्यक्ति द्वारा कवर किए गए हैं।

" तम्बाकू "जैसा कि सी. ई. टी. अधिनियम के अध्याय नोट 3 में समझा गया है। द.

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि जब 'गुडकू' और 'गुटका' तंबाकू हैं और अधिनियम की तीसरी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 22 के भीतर आते हैं, तो अधिसूचना के माध्यम से प्रविष्टि संख्या 46 को लागू करके और इसे पहली अनुसूची में शामिल करके स्थानीय बिक्री कर नहीं लगाया जा सकता है। कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड (ऊपर) पर भरोसा किया गया था; डीलर 'गुटखा' (ब्रांड 'पान पराग' के तहत) में सौदा कर रहा था। ए. पी. सामान्य बिक्री कर की पहली अनुसूची में प्रविष्टि 194 (जिसमें "गुटका सहित पान मसाला" पर कर लगाया गया था) की शुरुआत।

8 (2000) 9 एस. सी. सी. 263 [इसके बाद 'कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड'] 9 1988 (68) एस. टी. सी. 92 (एस. सी.); (2018) 11 एस. सी. सी. 505 [इसके बाद 'राधेश्याम गुदाखु फैक्ट्री'] 10 धारा 8 देखें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं अधिनियम, 1957) की पहली अनुसूची के संबंधित शीर्षों और उप-शीर्षों में शामिल वस्तुएं होंगी, लेकिन इसमें ऐसी वस्तुएं शामिल नहीं हैं जिनके तहत उत्पाद शुल्क का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाता है।

अनुसूची "।

16. इस अदालत ने माना कि 'गुटका' तंबाकू है जो उक्त एडीई अधिनियम की पहली अनुसूची में एक प्रविष्टि द्वारा कवर किया गया है और इसमें ब्रांडेड गुटका शामिल है।

प्रश्न "गुटका" था, और इसलिए, "माल" एपीजीएसटी अधिनियम की चौथी अनुसूची के स्पष्टीकरण द्वारा कवर किया गया था। इसलिए इसे धारा 8 द्वारा छूट दी गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि पहली अनुसूची की प्रविष्टि 194 में गुटका को एक प्रकार के पान मसाला के रूप में शामिल करके एपीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके समावेश को कानून में अमान्य माना गया था।

17. उच्च न्यायालय के समक्ष राजस्व का रुख यह था कि डी. एस. टी. अधिनियम की तीसरी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 22 में तंबाकू एक सामान्य प्रविष्टि है। सी. ई. टी. अधिनियम की अनुसूची के अध्याय 24 में विभिन्न मदों का उल्लेख किया गया है।

छह सिरों के नीचे। यह राज्य के लिए बिक्री कर अधिनियम के अनुसार कर लगाने के लिए खुला था; जिसकी आवश्यकता थी वह विधायी क्षमता का परीक्षण करना था

कर लगाने में राज्य का। यह आग्रह किया गया कि तीसरी अनुसूची में प्रविष्टि संख्या 22 एक सामान्य प्रविष्टि है, और पहली अनुसूची में प्रविष्टि संख्या 46 एक विशिष्ट प्रविष्टि है। राजस्व आयुक्त, बिक्री कर, यू. पी. बनाम में इस अदालत के फैसले पर निर्भर था। आगरा बेल्टिंग वर्क्स 1 1, जहाँ न्यायालय ने बताया कि यदि एक प्रावधान 1 2 के तहत एक अधिसूचना कर से छूट प्रदान करती है, और

बाद में, एक बाद की अधिसूचना (एक अन्य प्रावधान के तहत) कर की दर निर्धारित करती है, जिसका उद्देश्य छूट को वापस लेना और बाद की अधिसूचना में निर्धारित दर पर शुल्क लगाना है। अदालत ने कहा कि चूंकि छूट देने और कर की दर में बदलाव करने की शक्ति राज्य के पास है, इसलिए कानून में कोई बाध्यता नहीं है कि

छूट को वापस लेने की अधिसूचना किसी भी दर पर कर लगाने के लिए एक पूर्व शर्त है। राजस्व दो मामलों पर भी निर्भर था जो आगरा बेल्टिंग वर्क्स (उपरोक्त) में अनुपात का अनुसरण करते थे-बिक्री कर अधिकारी, सेक्टर IX, कानपुर बनाम। डेयरी उत्पादों और ए. एन. आर. का सौदा। 13 1 3 और

बिहार राज्य बनाम। कृष्ण कुथर काबरा। 1 4. बाद के मामले में, इस अदालत ने पिछले दो फैसलों का पालन किया और कहा कि एक प्रविष्टि शुरू करने और इसे शुल्क के अधीन करने वाली अधिसूचना,

जब पहले, यह कर कानून के एक अन्य भाग में छूट दी गई थी 11 [1987] 3 एससीआर 93: (1987) 3 एस. सी. सी. 140 [इसके बाद 'आगरा बेल्टिंग वर्क्स'] 1 2 उस मामले में, धारा 4- जैसा कि वर्तमान मामले 13 (1994) 94 एस. टी. सी. 93 (एस. सी.) में डी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 में हैः 1994 पूरक (2) एस. सी. सी. 639 [इसके बाद 'डेयरी उत्पादों का सौदा'] 14 (1997) 9 एस. सी. सी. 763 [इसके बाद 'कृष्ण कुमार काबरा'] मेसर्स त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड।

टीएचआर। इसके निदेशक श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल बनाम। जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. टी. आर. इसका प्रधान सचिव (वित्त) [एस. रवींद्र भाट, जे.]

" इरादा छूट को वापस लेने और बाद की अधिसूचना में निर्धारित दर पर बिक्री को कर के लिए देय बनाने का था। अदालत ने यह भी कहा कि यह अनावश्यक है कि अधिसूचना को वापस लेने या रद्द करने के लिए एक विशिष्ट या अलग अधिसूचना जारी की जानी चाहिए।

18. दिल्ली उच्च न्यायालय ने उद्धृत निर्णयों की जांच के बाद कहा कि आगरा बेल्टिंग वर्क्स (उपरोक्त) में इंगित इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा इंगित तर्क से अलग होना मुश्किल था। इसलिए इसने अपीलार्थियों की रिट याचिका को खारिज कर दिया।

केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं को उन राज्यों के बीच वितरित नहीं किया जाएगा जिन्होंने ऐसी वस्तु की बिक्री पर कर लगाने का विकल्प चुना था। अदालत ने महालक्ष्मी ऑयल मिल्स बनाम पर भरोसा किया। आंध्र प्रदेश राज्य 1 5. उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि तंबाकू युक्त पान मसाला, अध्याय 24 के तहत, उप-शीर्षक संख्या 2404.49 पर दिखाया गया है, जिस पर 16 प्रतिशत का शुल्क और 18 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगता है। अपीलार्थियों द्वारा निर्मित तंबाकू युक्त पान मसाला सी. ई. टी. अधिनियम के साथ पठित सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 14 (ix) के तहत एक घोषित वस्तु नहीं है क्योंकि सी. ई. टी. अधिनियम के अध्याय 24 के तहत उप-शीर्षक 2404.49 उप-शीर्षक नहीं हैं।

सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 14 (ix) में शामिल शीर्षक। यह भी माना गया कि पान मसाला एक घोषित वस्तु नहीं थी और न ही यह उस तारीख को एक घोषित वस्तु थी जब सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 14 (ix) को उस रूप में पेश किया गया था जिसमें यह क़ानून में मौजूद थी।

तमिलनाडु मामलाः धर्मपाल सत्यपाल और कोठारी

उत्पाद 1 6 16

अपीलकर्ताओं ने आग्रह किया था कि गुटका, एक ऐसी तैयारी थी जिसमें न केवल तंबाकू, बल्कि सुपारी, काटेचू, चूने, स्वाद, अनुमत मसाले, केसर भी शामिल थे, और यह कि तंबाकू इसके संबंध में इसका आवश्यक चरित्र है। उपयोगकर्ता की प्रमुख वस्तु। तम्बाकू का प्रतिशत 7 प्रतिशत से भिन्न होता है।

15 [1988] पूरक 2 एस. सी. आर. 1088: (1989) 1 एस. सी. सी. 164 [इसके बाद 'महालक्ष्मी ऑयल मिल्स'] 16 सी. ए. सं. 8502/2011 और सी. ए. सं. 8496-8501/2011 क्रमशः डब्ल्यू. पी. सं. 4001/2002 और 4604-09/2002 (मद्रास उच्च न्यायालय) में सामान्य विवादित निर्णय दिनांक 13.04.2009 के खिलाफ निर्देशित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. एल. में सामग्री। खंड के साथ पठित पहली अनुसूची के भाग-जे का सं. 2 3 (2) टीएनजीएसटी अधिनियम। विवाद की अवधि अक्टूबर, 2000 से फरवरी, 2001 तक है। अपीलकर्ताओं ने आग्रह किया-दिल्ली के मामलों की तरह, कि यदि माल क्र. सं. के विवरण के भीतर आता है। टी. एन. जी. एस. टी. अधिनियम की तीसरी अनुसूची की संख्या 1 (iv) (डी) के अनुसार उन्हें कर से छूट दी गई है।

धारा 8. एक बार जब माल को तीसरी अनुसूची के तहत गणना द्वारा छूट दी जाती है, तो राज्य अधिनियम की धारा 8 राज्य अधिनियम के तहत माल को शुल्क से छूट देने के लिए काम करती है। छूट को देखते हुए पहली अनुसूची में माल के बाद के विनिर्देश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टी. एन. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 8 के तहत छूट किसी भी प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं है। तीसरी अनुसूची की सं. 1 (iv) (d) का संबंध है। एस. एल. के तहत परिभाषा। तीसरी अनुसूची की संख्या 1 (iv) (d) केवल तंबाकू चबाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शामिल हैं - चबाने वाले तंबाकू और 'सम्मिलित' शब्द का अर्थ प्रवेश को बड़ा करने के लिए किया जाना चाहिए ताकि चबाने वाले तंबाकू की सभी तैयारी को समझा जा सके और यह केवल चबाने वाले तंबाकू तक ही सीमित न रहे।

21. टी. एन. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 3 आरोप धारा है; धारा 3 (2) निम्नानुसार अधिनियमित करती हैः

" (2) उप-धारा (1) के प्रावधानों के अधीन, पहली अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं के मामले में, इसके तहत कर

अधिनियम एक व्यापारी द्वारा प्रत्येक वर्ष में ऐसे मामलों से संबंधित कारोबार पर उसमें निर्दिष्ट दर और बिंदु पर देय होगा। सामान "।

22. डीएसटी अधिनियम की धारा 7 की तरह, टीएनजीएसटी अधिनियम की धारा 8 इस प्रकार हैः

" ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन जो हो सकते हैं

विहित, एक व्यापारी जो तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं का सौदा करता है, इसके तहत कोई कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

ऐसी वस्तुओं के संबंध में कार्य करें।

23. टी. एन. जी. एस. टी. अधिनियम की तीसरी अनुसूची की क्रम संख्या 1 (iv) (डी) (जिसमें छूट प्राप्त वस्तुओं की गणना की गई है) निम्नानुसार हैः

" 1. ((iv) अन्य विनिर्मित तंबाकू जैसा कि इसके विरुद्ध वर्णित है।

शीर्षक '24.04', जिसमें मेसर्स त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड भी शामिल है। टीएचआर। इसके निदेशक श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल बनाम। जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. टी. आर. इसका प्रधान सचिव (वित्त) [एस. रवींद्र भाट, जे.]

(क) पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण।

(ख) तंबाकू का सेवन बंद कर दें।

((c) डिब्बे (घ) तंबाकू चबाना और तंबाकू चबाने वाली तैयारी।

(ई) तंबाकू का सेवन और तंबाकू के सेवन से बनी चीजें

किसी भी अनुपात में तंबाकू

24. उच्च न्यायालय के फैसले में कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड (उपरोक्त) के फैसले के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों सहित अदालतों के पिछले सभी फैसलों पर विचार किया गया कि क्या पान मसाला तंबाकू है। अदालत ने 'सामान्य बोलचाल परीक्षण' के रूप में इंगित परीक्षण को अपनाया, यानी कि क्या कोई आम आदमी 'पान मसाला' को तंबाकू या तंबाकू युक्त उत्पाद के रूप में समझता है। इसमें कहा गया कि यदि आम आदमी को चबाने वाला तंबाकू खरीदने के लिए कहा जाता है, तो वह एक ऐसी वस्तु खरीद सकता है जो मुख्य रूप से चबाने वाला तंबाकू है और वास्तव में सीईटी अधिनियम के उसी वर्ग में आता है। वर्गीकरण, लेकिन कोई भी पान मसाला नहीं खरीदेगा। इसलिए यह माना जाता था कि पान मसाला चबाने वाले तंबाकू या तंबाकू से भी अलग है। अदालत ने यह भी फैसला सुनाया-कि सी. ई. टी. अधिनियम के तहत व्याख्या के लिए सामान्य नियमों को लागू करते हुए, यह स्पष्ट था कि "तंबाकू युक्त पान मसाला" विचाराधीन वस्तुओं के लिए सबसे विशिष्ट विवरण प्रदान करता है, भले ही तंबाकू माल में सामग्री में से एक हो, क्योंकि शीर्षक 21.06 में पान मसाला का विवरण अधिक विशेष रूप से माल का वर्णन करता है, इसे नियम 3 (बी) में जाए बिना प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि 2001 से लागू किया गया संशोधन इस प्रभाव से था कि चबाने वाले तंबाकू में पान मसाला शामिल नहीं था और न ही इसमें शामिल था

तम्बाकू युक्त, और लेकिन 2001 से प्रभावी अध्याय 24 (शीर्षक 2404.49) में 'तंबाकू युक्त पान मसाला' को शामिल करने के लिए, वे पूरी तरह से दूसरे वर्ग के तहत अलग से कवर किए गए सामान थे, यानी शीर्षक संख्या 21.06।

इलाहाबाद के निर्णयः पी. जे. एरोमेटिक्स ", सरीन एंड सरीन 1 8 18 और राज पैन प्रोडक्ट्स 1 9 19

1 7 सी. ए. सं. 10374-10379/2014, एस. टी. आर. सं. 1281-82/2004 में दिनांकित 12.03.2014 और एस. टी. आर. सं. 789-792/2004 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) में 11.04.2014 के विवादित निर्णयों के विरुद्ध। 18 सी. ए. सं. 8617/2014, टी. टी. आर. सं. 91/2005 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) में दिनांकित 25.04.2014 के विवादित फैसले के खिलाफ। 19 सी. ए. सं. 289/2023, टी. टी. आर. सं. 1830/2004 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) में दिनांकित 08.11.2017 के विवादित फैसले के खिलाफ।

25. इन मामलों में, निर्धारिती गुटखे का निर्माण करते हैं और उसकी बिक्री पर कर लगाने पर विवाद करते हैं। प्राधिकरण, यूपीटीटी के तहत

अधिनियम ने फैसला सुनाया कि गुटखे की बिक्री पर 10 प्रतिशत कर लगाया जाता था जिसे 'अवर्गीकृत वस्तु' माना जाता था। यू. पी. टी. टी. अधिनियम की धारा 3, पंजीकृत विक्रेताओं द्वारा विभिन्न वस्तुओं की बिक्री पर व्यापार कर लगाती है। अधिनियम की धारा 4 राज्य को वस्तुओं को शुल्क से छूट देने का अधिकार देती है; उस प्रावधान का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

" धारा 4-कर से छूट (ए) प्रसंस्कृत और ब्रांडेड नमक, समाचार पत्रों या किसी भी अन्य सामान को छोड़कर पानी, दूध, नमक की बिक्री या खरीद पर देय होगी, जिसे राज्य

सरकार अधिसूचना द्वारा छूट दे सकती है।

26. राज्य सरकार ने यू. पी. टी. टी. अधिनियम के तहत कुछ वस्तुओं को कर से छूट देने के लिए दिनांक 31.01.1985 पर एक अधिसूचना जारी की है।

01.02.1985 से। उस अधिसूचना 20 में क्रम संख्या 14 था, जो इस प्रकार हैः

" 14. सिगार, सिगरेट, बीरी (मशीन से बनी और हाथ से बनी दोनों) और तंबाकू, चाहे ठीक किया गया हो या ठीक नहीं किया गया हो, और तंबाकू के पौधे के पत्ते, डंठल और तनों और तंबाकू के सभी उत्पादों सहित, लेकिन तंबाकू के पौधे के किसी भी हिस्से को शामिल करते हुए। पृथ्वी पर। "

27. 26.06.1997 की अधिसूचना द्वारा, 01.07.1997 पर राजपत्र में प्रकाशित, प्रविष्टि 14 को विशेष रूप से "तंबाकू युक्त पान मसाला" को बाहर करने के लिए संशोधित किया गया था, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए। राजपत्र में दिनांक 06.04.1999 प्रकाशित अधिसूचना 2 1 द्वारा एक और संशोधन के परिणामस्वरूप प्रविष्टि 14 निम्नानुसार पढ़ा गयाः

" 14. सिगार, सिगरेट, बिरयानी (मशीन से बनी और हाथ से बनी दोनों) और तंबाकू, चाहे ठीक किया गया हो या ठीक नहीं किया गया हो और तंबाकू के पौधे के पत्ते, डंठल और तनों सहित तंबाकू के सभी उत्पाद, तंबाकू युक्त पान मसाला को छोड़कर, तंबाकू के पौधे का कोई भी हिस्सा, जो अभी भी मिट्टी से जुड़ा हुआ है।

28. अधिसूचना द्वारा "तंबाकू युक्त पान मसाला" के संबंध में छूट विशेष रूप से वापस ले ली गई, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए।

20 दिनांक जनवरी 31.01.1985 21 सं. टी. आई. एफ.-2-595/XI-9 (4)/99-यू. पी.

अधिनियम-15-48-आदेश-98 एम/एस त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड। टीएचआर। इसके निदेशक श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल बनाम। जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. टी. आर. इसका प्रधान सचिव (वित्त) [एस. रवींद्र भाट, जे.]

यू. पी. टी. टी. अधिनियम में ए. पी. जी. एस. टी. अधिनियम के अनुरूप और यह कि पहले की अधिसूचना (1985 की) बहुत व्यापक थी और इसमें गुटका जैसे तंबाकू उत्पाद और तंबाकू युक्त पान मसाला शामिल थे जिन्हें छूट दी गई थी। धारा 4 (1) के आधार पर और सी. ई. टी. अधिनियम आदि जैसे किसी कानून के संदर्भ में नहीं। इसलिए, यह निर्णय दिया गया कि यह तर्क कि सी. ई. टी. अधिनियम में कुछ शामिल किया गया था, कर से मुक्त रहेगा, तब तक सही नहीं था, जब तक कि राज्य अधिनियम में उस प्रभाव के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान न हो।

याचिकाकर्ताओं की दलीलें

29. दिल्ली के मामलों में पेश वरिष्ठ वकील ध्रुव अग्रवाल ने आग्रह किया कि डी. एस. टी. अधिनियम की धारा 7 (1) का शीर्षक "कर मुक्त सामान" है और इसमें "-कोई कर देय नहीं होगा" वाक्यांश का उपयोग किया गया है। धारा 7 (1) के साथ पठित अनुसूची 3 की प्रविष्टि 22 को ध्यान में रखते हुए, गुटका "कर मुक्त वस्तु" थी और धारा 7 (1) के विशिष्ट अधिदेश के अनुसार अनुसूची 3 के तहत सूचीबद्ध वस्तुओं की बिक्री पर "अधिनियम के तहत कोई कर देय नहीं होगा" (यानी डीएसटी अधिनियम)। अनुसूची III की प्रविष्टि 22 के साथ पठित धारा 7 (1) का स्पष्ट प्रभाव यह था कि गुटका शुल्क या लेवी के दायरे से बाहर था।

टर्नओवर "। जब वस्तुओं को छूट दी गई थी तो उन्हें कर योग्य कारोबार में शामिल करने का कोई सवाल ही नहीं था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने टाटा स्काई लिमिटेड बनाम पर भरोसा किया। मध्य प्रदेश राज्य 2 2. जाने-माने वरिष्ठ वकील प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का तर्क है कि अनुसूची III में प्रविष्टि 22

22 [2013] 2 एससीआर 849: (2013) 2 एससीसी 849 [2023] 7 एस. सी. आर.

यह सामान्य था और अनुसूची I की प्रविष्टि 46 विशिष्ट थी, इसका कोई आवेदन नहीं था; उन्होंने रिलायंस ट्रेडिंग कंपनी v का हवाला दिया। केरल राज्य 2 3.

31. यह आग्रह किया गया कि कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड (उपरोक्त) तीन न्यायाधीशों की पीठ का एक फैसला है जिसमें कहा गया है कि "गुटका एक तंबाकू है" और यह कि गुटका, राज्य बिक्री कर अधिनियम (यानी, एपीजीएसटी अधिनियम) की चौथी अनुसूची के स्पष्टीकरण के अंतर्गत आता है और राज्य अधिनियम की अनुसूची की धारा 8 में निहित छूट को पहली अनुसूची में गुटका शामिल करके संशोधित नहीं किया जा सकता था। राधेश्याम गुदाखु फैक्ट्री (उपरोक्त) में इस अदालत ने कहा कि गुटका तंबाकू का एक उत्पाद है और इसका आवश्यक और प्रभावी घटक तंबाकू बना हुआ है; इसे आम बोलचाल में तंबाकू के उत्पाद के रूप में भी जाना जाता है। इसका आवश्यक चरित्र तंबाकू है; "तंबाकू" उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम की अनुसूची की प्रविष्टि 35 के अंतर्गत आता है। रिलायंस ट्रेडिंग कंपनी (ऊपर) में निर्णय एक है

तीन-सामान्य और विशिष्ट प्रविष्टियों के आधार पर राजस्व की प्रस्तुतियों को अस्वीकार करने वाला न्यायाधीश का निर्णय। इसने यह भी माना कि केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 की तीसरी अनुसूची में माल के पक्ष में छूट जारी रही क्योंकि पहली अनुसूची के संशोधन के बाद भी इसमें संशोधन नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप यह हुआ कि पहली अनुसूची में संशोधन करने में विधानमंडल के किसी भी अनुमानित इरादे के बावजूद, जब तक तीसरी अनुसूची में प्रविष्टि असंशोधित रही, तब तक कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता था।

32. यह आग्रह किया गया कि जहां तक उल्लिखित निर्णयों की दूसरी पंक्ति का संबंध है, आगरा बेल्टिंग वर्क्स (उपरोक्त) का बहुमत निर्णय था -

दो न्यायाधीशों और एक न्यायाधीश ने असहमति व्यक्त की। उस मामले में वर्तमान मामले की तरह कानून के तहत कोई 'कर मुक्त वस्तु' नहीं थी। इसके बजाय, यह एक छूट अधिसूचना का मामला था जहां दर प्रदान करने वाली एक और अधिसूचना थी। फैसले में दो अधिसूचनाओं के संयुक्त प्रभाव पर विचार किया गया। इस अदालत ने डेयरी उत्पादों (ऊपर) के सौदे में आगरा बेल्टिंग वर्क्स (ऊपर) पर भरोसा किया, और कृष्ण कुमार काबरा (ऊपर) का फैसला करते समय इन दोनों मामलों पर भरोसा किया। तीनों मामलों में, वर्तमान मामले की तरह 'कर मुक्त वस्तुओं' से संबंधित कोई मुद्दा नहीं था।

33. इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि डी. एस. टी. अधिनियम की तीसरी अनुसूची की प्रविष्टि 22 निगमन के माध्यम से एक विधान के बराबर है। जहाँ तक इसमें डी. एस. टी. अधिनियम के

तहत प्रावधान तैयार करने के उद्देश्यों के लिए 'तंबाकू' को परिभाषित करने वाला सी. ई. ए. का एक विशिष्ट प्रावधान शामिल है। लेफ्टिनेंट.

23 (2011) 15 एस. सी. सी. 762 [इसके बाद 'रिलायंस ट्रेडिंग कंपनी'] मेसर्स त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड।

टीएचआर। इसके निदेशक श्री

प्रदीप कुमार अग्रवाल बनाम। जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. टी. आर. आईटीएस

प्रधान सचिव (वित्त) [एस. रवींद्र भाट, जे.]

राज्यपाल को डी. एस. टी. अधिनियम की तीसरी अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति सौंपी गई है जिसमें 'तंबाकू' की परिभाषा शामिल है। यह था। प्रस्तुत किया कि जब परिभाषा को इस तरह से शामिल किया जाता है, तो कानून में बाद के परिवर्तनों का पहले के, शामिल किए गए प्रावधानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वकील ने इस पहलू पर इस अदालत के कुछ फैसलों 24 का हवाला दिया।

34. श्री पवन श्री अग्रवाल, पी. जे. की ओर से पेश विद्वान वकील

अरोमेटिक्स, पप्पु स्वीट्स और बिस्किट्स v पर निर्भर था। के आयुक्त

व्यापार कर, यू. पी., लखनऊ 2 5, यह तर्क देने के लिए कि बाद के कानून को पहले के कानून की सही व्याख्या देखने के लिए देखा जा सकता है, विशेष रूप से जब पहले वाला अस्पष्ट या अस्पष्ट या एक से अधिक व्याख्या करने में सक्षम हो। वकील ने संशोधन पर भरोसा किया

ए. डी. ई. अधिनियम, वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा, जिसमें प्रविष्टि 8404.49 को "च्युइंग टोबैको" वंश की प्रजाति के रूप में सम्मिलित किया गया है, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जा सकता हैः

" तंबाकू चबाना और चबाने वाली तैयारी

तंबाकू;

तंबाकू युक्त पान मसाला

8404.41 .....

8404.49 तंबाकू युक्त पान मसाला "

35. सी. ई. ए., 1944 की पहली अनुसूची में उपरोक्त और मूल प्रविष्टि 4 की तुलना से पता चलता है कि "च्युइंग टोबैको" था

जीनस और "पान मसाला युक्त तंबाकू" जिसे आमतौर पर "गुटका" के रूप में जाना जाता है, चबाने वाले तंबाकू की एक प्रजाति थी। इसलिए हमेशा यह मूल परिभाषा के अंतर्गत आता है और यू. पी. टी. टी. अधिनियम की अनुसूची की प्रविष्टि 14 का हिस्सा है (साथ ही क्र. डी. एस. टी. अधिनियम की तीसरी अनुसूची की संख्या 22)।

36. श्री अग्रवाल ने तर्क दिया कि कर का उद्ग्रहण यूपीटीटी अधिनियम की धारा 3 के तहत है जबकि कर की दर धारा 3ए में प्रदान की गई है। खंड 4

अधिनियम राज्य सरकार को छूट देने का अधिकार देता है। धारा 3ए और 3डी को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि इस पर कर की दर घोषित माल सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 15 में दी गई दर से अधिक नहीं हो सकता है। इसलिए, सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 15 के तहत अधिनियमित प्रतिबंधों को धारा 3ए और 3डी में मान्यता दी गई है।

24 नरोत्तमदास बनाम। मध्य प्रदेश राज्य और अन्य [1964] 7 एस. सी. आर. 820; नागपुर सुधार न्यास बनाम। वसंतराव और अन्य (2002) 7 एस. सी. सी. 657; और गिरनार ट्रेडर्स (3) बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य। [2011] 3 एससीआर 1

25 [1998] 2 पूरक। एससीआर 119: (1998) 7 एससीसी 228 [2023] 7 एस. सी. आर.

यूपीटीटी अधिनियम। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राज्य ने "पान मसाला" पर कर की दर निर्धारित करने वाली किसी भी अधिसूचना पर भरोसा नहीं किया है।

तंबाकू "इन मामलों में"। तंबाकू युक्त पान मसाला पर 'अवर्गीकृत वस्तु' के रूप में कर लगाया गया है या जिसे 'अवशिष्ट प्रविष्टि' कहा जा सकता है। इस प्रकार, यह सवाल उठाया गया कि क्या तंबाकू युक्त पान मसाला यानी "गुटका" सी. एस. टी. अधिनियम की प्रविष्टि 14 (ix) के तहत घोषित वस्तुओं के रूप में कर योग्य है या एक अवर्गीकृत वस्तु के रूप में या अवशिष्ट प्रविष्टि में है। 37. यह प्रस्तुत किया गया था कि "तंबाकू युक्त पान मसाला" कई कारणों से एक चबाने वाला तंबाकू है। एक, प्रविष्टि को यथासंभव व्यापक रूप से पढ़ा जाना चाहिए और इसकी किसी भी तैयारी सहित "चबाने वाले तंबाकू" का कोई भी रूप उस प्रविष्टि का हिस्सा होगा। दूसरा, गुटका अनिवार्य रूप से चबाने वाले तंबाकू की एक तैयारी है और जो चीज इसे सादे पान मसाला से अलग बनाती है, वह है इसकी आवश्यक विशेषताएं यानी तंबाकू (जो गुटका में है)। तीन, यह वर्गीकरण का एक निश्चित सिद्धांत है कि यह वस्तु में किसी विशेष वस्तु का प्रतिशत नहीं है जो निर्धारित करेगा।

उत्पाद की प्रकृति। चौथा, निर्विवाद रूप से "गुटका" अपीलार्थी पी. जे. एरोमेटिक्स द्वारा एक ब्रांड नाम "जीत" के तहत बेचा जाता है। इसलिए, यह आग्रह किया गया कि यह प्रविष्टि 2404.41 में आएगा जो विशेष रूप से धारा 14 (ix) के तहत शामिल है। 38. यह आगे तर्क दिया गया कि सी. ई. टी. अधिनियम की प्रविष्टि 21.06 की वर्तमान उद्देश्य के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है जब अधिनियम के तहत अधिसूचनाएं दी जाती हैं।

विचार किया जा रहा है। पहला, "तंबाकू युक्त पान मसाला" के रूप में कोई प्रविष्टि नहीं है, और दूसरा, अधिसूचना में सी. ई. टी. अधिनियम के 21.06 की तरह कोई प्रविष्टि नहीं है जो कर की दर प्रदान करती है और इसलिए

राजस्व के अनुसार अवशिष्ट खंड के तहत वर्गीकरण किया जाता है।

राजस्व के विवाद

39. सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ए. एस. जी.) श्री एन. वेंकटरमन पेश हुए। उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता (ए. ए. जी.) श्री रायजादा और तमिलनाडु राज्य की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधाकृष्ण उपस्थित हुए।

40. राजस्व ने प्रस्तुत किया कि कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड (ऊपर) में जो सौदा किया गया था वह गुडकू था, जो उप के अंतर्गत आने वाला एक तंबाकू उत्पाद था।

सी. ई. टी. अधिनियम के साथ-साथ ए. डी. ई. अधिनियम का शीर्षक <आई. डी. 1 और यह याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है; और यह कि यह एक तथ्य के मुद्दे पर दिया गया निर्णय था जो इस अदालत को बाध्य नहीं कर सकता है।

मेसर्स त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड। टीएचआर। इसके निदेशक श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल बनाम। जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. टी. आर. इसका प्रधान सचिव (वित्त) [एस. रवींद्र भाट, जे.]

41. इसके बाद यह तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में उपशीर्षक 2404.41 में 'सहित' शब्द के निर्माण के उपयोग के बाद 'तैयारी' शब्द आते हैं जिन्हें आमतौर पर जाना जाता है और इसलिए, उक्त शब्द को संयुग्म अर्थ में "और" के रूप में समझना और पढ़ना होगा। नतीजतन, उसमें उल्लिखित तैयारी को संपूर्ण माना जाना चाहिए और उससे आगे इसका विस्तार नहीं किया जा सकता है।

42. यह तर्क दिया गया था कि इन मामलों में पान मसाला और गुटका तंबाकू से अलग और अलग प्रविष्टियां हैं और इसलिए राज्य विधानमंडल पान मसाला और गुटका पर कर लगाने के लिए सक्षम हैं। वहाँ कोई नहीं है

प्रविष्टियों के स्वतंत्र अस्तित्व के बीच अंतर के बारे में विवाद, अर्थात, क्रमशः तंबाकू और पान मसाला गुटका। यह तर्क दिया गया कि राज्य विधानमंडल ए. डी. ई. अधिनियम के अधीन वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर लगाने के लिए सक्षम हैं। इस तरह के किसी भी बिक्री कर के लगाने का मतलब यह होगा कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी वस्तुओं पर लगाया और एकत्र किया गया अतिरिक्त उत्पाद शुल्क उन राज्यों के बीच वितरित नहीं किया जाएगा जिन्होंने इसकी बिक्री पर कर लगाने का विकल्प चुना था। इस मुद्दे को इस अदालत ने महालक्ष्मी ऑयल मिल्स (ऊपर) में अच्छी तरह से सुलझा लिया है। 43. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि "तंबाकू" की परिभाषा के संबंध में तर्क अपरिवर्तित है, जैसा कि राज्य के कानूनों के अधिनियमन के समय शामिल किया गया था, बाद में परिवर्तनों को प्रतिबिंबित किए बिना,

गलत है। वकील ने प्रस्तुत किया कि परिभाषा केंद्रीय अधिनियमों के तहत तंबाकू की बदलती परिभाषाओं के संदर्भ में होनी चाहिए; मध्य प्रदेश राज्य बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णयों पर निर्भरता रखी गई थी। एम. वी. नरसिम्हन 26; नागपुर सुधार न्यास बनाम। वसंतराव ", और यू. पी. आवास एवं विकास परिषद बनाम। जैनुल इस्लाम & Anr.28 इस प्रस्ताव के लिए कि वर्तमान मामले में, तंबाकू की परिभाषा को निगमन द्वारा कानून का एक उदाहरण नहीं कहा जा सकता है, बल्कि, यह संदर्भ द्वारा कानून का मामला है। इसलिए, कानून में परिवर्तन होगा

स्वचालित रूप से पिछले कानून में परिलक्षित होगा। 44. यह आग्रह किया गया कि "तंबाकू युक्त पान मसाला" और "चबाने वाला तंबाकू" समान नहीं हैं। उन्हें निस्संदेह एक ही शीर्षक के तहत शामिल किया गया था। हालाँकि, वे एक वस्तु नहीं थे। यह तर्क दिया गया था कि 2001 से प्रभावी संशोधन जिसमें "चबाने वाला तंबाकू" शामिल नहीं है, और इसमें कभी भी "पान मसाला युक्त" शामिल नहीं है।

26 [1976] 1 एस. सी. आर 6: (1975) 2 एस. सी. सी. 377 27 [2002] पूरक (2) एस. सी. आर. 636: (2002) 7 एससीसी 657 28 [1998] 1 एससीआर 254: (1998) 2 एससीसी 467 [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तम्बाकू "और लेकिन 2001 से प्रभावी अध्याय 24 में" तंबाकू युक्त पान मसाला "और उप-शीर्षक 2404.49 को शामिल करने के लिए, यह शीर्षक 21.06 द्वारा कवर किया गया माल होता। व्याख्या के लिए सामान्य नियम (सी. ई. ए. में) पर भरोसा किया गया था, यह कहने के लिए कि "तंबाकू युक्त पान मसाला" माल का एक विशिष्ट विवरण है। इसके अलावा, यह कि तंबाकू लेख में एक घटक है, प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि विवरण (शीर्षक 21.06 में 'पान मसाला' का) माल का वर्णन करता है। विशेष रूप से। यह वर्गीकरण प्रबल होगा। यह तर्क दिया जाता है कि नियम 3 (बी) अप्रासंगिक है। इसके विवरण के अनुसार, सामान 'पान मसाला' है जिसमें तंबाकू है।

विश्लेषण और तर्क

45. जैसा कि स्पष्ट है, तीनों मामलों में, निर्णयों से उत्पन्न होता है

दिल्ली, मद्रास और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों के स्थानीय अधिनियमों में एक समान योजना या पैटर्न शामिल है, जो (ए) एक प्रावधान है जो लागू करता है।

बिक्री या व्यापार कर का उद्ग्रहण; (ख) एक ऐसा प्रावधान जो विभिन्न वस्तुओं, या वस्तुओं के वर्गों के लिए अलग-अलग दरों को निर्धारित करने का अधिकार देता है और (ग) एक ऐसा प्रावधान या प्रावधान जो उस उद्देश्य के लिए एक अनुसूची में सूचीबद्ध वस्तुओं को छूट देता है (जैसे दिल्ली के मामले में-तीसरी अनुसूची में, जिसके साथ पढ़ा जाता है)

डीएसटी अधिनियम की धारा 7) या एक सामान्य अधिसूचना के माध्यम से। सभी मामलों में, विक्रेताओं की दलीलें कमोबेश एक जैसी थीं, जो कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड (ऊपर) पर निर्भर करती हैं; कि जब विशिष्ट वस्तुएं होती हैं

कर की दर से संबंधित अधिसूचना में शामिल करके उन पर कर नहीं लगाया जा सकता है, भले ही छूट देने का अधिकार और कर लगाने या दरों में वृद्धि करने का अधिकार राज्य या उसी प्राधिकरण के पास हो। व्यापारी/अपीलकर्ताओं ने सी. ई. टी. अधिनियम के प्रावधानों, विशेष रूप से अध्याय 24 पर भी भरोसा किया, यह तर्क देने के लिए कि पान मसाला या गुटका तंबाकू थे, और इसलिए, छूट दी गई थी। इन सभी दलीलों को उच्च न्यायालयों ने खारिज कर दिया था। शांति सुगंध के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को उसी उच्च न्यायालय के साथ-साथ अन्य उच्च न्यायालयों के बाद के फैसलों द्वारा देखा गया था। 46. प्रासंगिक समय में, 'पान मसाला' को एक ऐसी तैयारी के रूप में वर्णित किया गया था जिसमें सुपारी और कोई भी एक या अधिक अन्य सामग्री जैसे चूने, काठा, काटेचू, इलायची, कोपरा, मेन्थॉल और तंबाकू शामिल थे। यह सी. ई. टी. अधिनियम के तहत पान मसाला की परिभाषा है जो 1995 तक जारी रही। 21.06 शीर्षक में 'पान मसाला' शामिल है जिसमें "चूने, कथा, काटेचू, इलायची, कोपरा, मेन्थॉल और तंबाकू" या कोई एक या

इन सामग्रियों में से अधिक। अध्याय 24 में तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू के विकल्प और संबंधित उप-शीर्षक उस मेसर्स त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड पर।

टीएचआर। इसके निदेशक श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल बनाम। जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. टी. आर. इसका प्रधान सचिव (वित्त) [एस. रवींद्र भाट, जे.]

47. 1995 का संसद अधिनियम 22, सी. ई. टी. अधिनियम के अध्याय 21 में टिप्पणी-3 को प्रतिस्थापित किया गया। पान मसाला को "किसी भी तैयारी" के रूप में वर्णित किया गया था। जिसमें सुपारी और निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक सामग्री हो। , चूने, कठा, काटेचू या तंबाकू, चाहे उसमें कोई अन्य सामग्री हो या न हो जैसे कि इलायची, कोपरा और

मेन्थॉल "। इसलिए पान मसाला का प्राथमिक घटक सुपारी है, जिसे अन्य अवयवों के साथ संयोजन में या पृथक रूप में मिलाया जा सकता है। यह स्थिति 01.03.1988 पर प्रबल रही। 1995 में, परिभाषा में बदलाव आया। सुपारी "चूने, काठा या तंबाकू" के साथ एक साथ या अलग से आवश्यक घटक बना रहा। क्या उत्पाद

इसमें इलायची, कोपरा और मेन्थॉल था या नहीं, यह अप्रासंगिक थाः फिर भी तीन अवयवों (चूने, कड़ा और तंबाकू) में से एक को 'पान मसाला' के रूप में जानी जाने वाली तैयारी में पाया जाना था। 1996 के संसद अधिनियम 33 द्वारा, अध्याय शीर्षक 24.04 के विवरण और इसके तहत उप-शीर्षकों को फिर से क्रमांकित किया गया था। माल के विवरण को फिर से वर्गीकृत किया गया। अध्याय 21 में कोई बदलाव नहीं हुआ; शीर्षक 21.06 केवल 'पान मसाला' बना रहा। यह नोट-3 के माध्यम से 01.03.2001 से प्रभाव के साथ बदल गया जो इस प्रकार हैः

..... " 3 . इस अध्याय में, 'पान मसाला' का अर्थ है कोई भी तैयारी जिसमें सुपारी और निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक हो।

(i) चूने; और (ii) कट्टा (कैटेचू)

लेकिन तंबाकू नहीं, चाहे उसमें कोई अन्य हो या न हो

(i) चूने; और ii) कट्टा (कैटेचू),

चाहे उसमें कोई अन्य सामग्री हो या नहीं, जैसे कि

इलायची, कोपरा और मेन्थॉल "।

48. अध्याय 24 में, उपशीर्षक 2404.40 और संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया गया था, अर्थात्:

" तंबाकू चबाना और चबाने वाली तैयारी

तम्बाकू; 'पान मसाला' जिसमें तम्बाकू होता है।

तंबाकू चबाना 2404.49. 1 पान मसाला 'तंबाकू युक्त'

49. एडीई अधिनियम की पहली अनुसूची में भाग-जे की प्रविष्टि संख्या 2 उप-शीर्षक 2404.49 के समान है-जैसा कि 01.03.2001 से संशोधित किया गया है। ए के रूप में

परिणामस्वरूप, "तंबाकू युक्त पान मसाला" पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है। जहां तक कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड (उपरोक्त) का संबंध है, (अविभाजित) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने एपीजीएसटी अधिनियम और सीईटी अधिनियम के प्रावधानों के बीच अंतरफलक की जांच की थी, इस संदर्भ में कि क्या गुडाकू के अधीन था

बिक्री कर, जैसा कि विक्रेताओं ने तर्क दिया था कि यह तंबाकू था, और इसलिए, स्थानीय कानून के तहत छूट दी गई थी। 29 पूर्ण पीठ के फैसले में स्थानीय अधिनियमों और सी. ई. टी. अधिनियम के अध्याय 21 और 24 के उप-शीर्षकों पर विचार किया गया और कहा गया कि हालांकि गुटका 'पान मसाला' शब्द के अंतर्गत आता है, क्योंकि उस पर कोई अतिरिक्त उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता है, फिर भी यह नहीं माना जा सकता है कि गुटका राज्य बिक्री कर से मुक्त था।

50. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ को

विचार करें कि क्या ए. पी. जी. एस. टी. अधिनियम की चौथी अनुसूची की प्रविष्टि 7, जिसमें तंबाकू को शामिल नहीं किया गया है, के परिणामस्वरूप भी तब तक छूट दी गई है जब तक कि ऐसा नहीं किया गया था।

एडीई अधिनियम के तहत कर के अधीन। उच्च न्यायालय ने सी. ई. टी. अधिनियम की व्याख्या करते हुए कहा कि प्रत्येक अध्याय में एक तालिका है, जिसमें प्रत्येक उपशीर्षक में "वस्तुओं" के विवरण और उन दरों को निर्दिष्ट किया गया है जिन पर दोनों

बुनियादी शुल्क के साथ-साथ अतिरिक्त शुल्क भी लगाया जाता है। अध्याय 21 "विविध खाद्य तैयारी" से संबंधित है। उस अध्याय के नोट 3 में कहा गया है कि उस अध्याय में "पान मसाला" का अर्थ था कोई भी तैयारी जिसमें सुपारी और कोई भी एक या अधिक सामग्री, जैसे कि चूने, काठा (कैटेचू) और तंबाकू, चाहे उसमें कोई अन्य सामग्री हो या न हो, जैसे कि इलायची, कोपरा और मेन्थॉल। यह माना गया था कि "तंबाकू चबाना और तंबाकू चबाने वाली तैयारी" काफी व्यापक है।

29 कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम। आंध्र प्रदेश सरकार, 1997 (107) एस. टी. सी. 618 एम/एस. त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड।

टीएचआर। इसके निदेशक श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल बनाम। जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. टी. आर. इसका प्रधान सचिव (वित्त) [एस. रवींद्र भाट, जे.]

प्रतिस्थापन, आदि "। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उस अध्याय के किसी भी शीर्षक और उपशीर्षक में "गुटखा" का कोई उल्लेख नहीं था। 51. पूर्ण पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि एपीजीएसटी अधिनियम की चौथी अनुसूची के स्पष्टीकरण के प्रावधान, प्रमुखों के संदर्भ में और

सी. ई. टी. अधिनियम में उप-प्रमुख, "तंबाकू चबाना और तैयार करना" अभिव्यक्ति के वास्तविक महत्व का पता लगाने में क्या प्रासंगिक था च्युइंग तंबाकू युक्त "में उपयोग किए जाने वाले शब्दों की चौड़ाई थी

प्रविष्टि, उपशीर्षक या अधिसूचना, या कानून। उस पहलू से, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि गुटका उक्त की व्यापक भाषा के भीतर आता है

अभिव्यक्ति। हालांकि उप-शीर्षक 2404.40 "चबाने वाला तंबाकू और चबाने वाले तंबाकू की तैयारी" एक सामान्य उप-शीर्षक था।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि यह व्याख्या का एक व्यवस्थित नियम है कि एक सामान्य प्रविष्टि पर एक विशिष्ट संदर्भ प्रबल होता है। चूँकि अदालत ने माना कि "गुटका" उपशीर्षक 21.06 में "पान मसाला" के अर्थ के भीतर आता है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि "पान मसाला" एक विशिष्ट उपशीर्षक था, यह मानते हुए भी कि यह "चबाने वाले तंबाकू" के अर्थ के भीतर आता है। इसलिए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अध्याय 21 में विशिष्ट शीर्ष "पान मसाला" को देखते हुए, उस वस्तु को सामान्य उप-शीर्ष 2404.40 "चबाने वाले तंबाकू और चबाने वाले तंबाकू वाली तैयारी" से बाहर रखा गया था।

अदालत ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि हालांकि "गुटका" उप-शीर्ष 21.06 के तहत अध्याय 21 में "पान मसाला" शब्द के भीतर आता है, फिर भी क्योंकि यह अतिरिक्त शुल्क के अधीन नहीं है, छूट का दावा करने के लिए स्पष्टीकरण द्वारा परिकल्पित एक आवश्यक शर्त का अभाव है।

52. इस अदालत ने कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड (उपरोक्त) मामले में पूर्ण पीठ के फैसले को यह कहते हुए उलट दिया किः

" 3. अपीलार्थियों की ओर से तर्क यह है कि आंध्र प्रदेश राज्य के लिए गुटका पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। राज्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 8 में प्रावधान है कि एक व्यापारी जो चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं का सौदा करता है,

ऐसी वस्तुओं के संबंध में इसके तहत कर से छूट। राज्य बिक्री कर अधिनियम की चौथी अनुसूची की प्रविष्टि 7 तंबाकू को संदर्भित करती है और इस संबंध में स्पष्टीकरण यह है कि

प्रविष्टि 7 [2023] 7 एस. सी. आर. में उल्लिखित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के संबंधित शीर्षों और उप शीर्षों में शामिल वस्तुएं होंगी, लेकिन इसमें ऐसी वस्तुएं शामिल नहीं हैं जहां उस अनुसूची के तहत उत्पाद शुल्क का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाता है।

उक्त अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अधिनियम, प्रविष्टि 2404 में, उप-शीर्षक "अन्य निर्मित तंबाकू" के तहत "गुडकू" को संदर्भित करता है। गुडाकू जो एक ब्रांड नाम रखता है, प्रविष्टि 2404.11 के तहत 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है और गुडाकू जो एक ब्रांड नाम नहीं रखता है, प्रविष्टि 2404.12 के तहत शून्य दर पर कर के अधीन है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की अनुसूची भी ब्रांड नाम वाले गुडकू और के बीच समान अंतर करती है।

गुडकू उप-शीर्षक के तहत एक ब्रांड नाम नहीं है,

" अन्य निर्मित तंबाकू और निर्मित तंबाकू

प्रतिस्थापन; सजातीय या 'पुनर्गठित' तंबाकू; तंबाकू के अर्क और सार। 4. स्पष्ट रूप से, इसलिए, गुटका एक तंबाकू है जो उक्त अतिरिक्त कर्तव्यों की पहली अनुसूची में एक प्रविष्टि द्वारा कवर किया गया है।

उत्पाद शुल्क अधिनियम और ब्रांडेड गुटका जो अपीलार्थी

इसकी धारा 8 में निहित छूट। के लिए अनुसूची इसलिए राज्य अधिनियम में संशोधन नहीं किया जा सकता था

इसकी प्रविष्टि 194 में एक प्रकार के पान मसाला के रूप में गुटका शामिल किया गया है।

पहली अनुसूची। अतः यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि समावेश

उक्त प्रविष्टि 194 में गुटका का जिस तरह से यह है

किया जाना कानून की दृष्टि से बुरा है और उसे खारिज कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता होंगे

वे सभी परिणामी लाभों के हकदार हैं।

53. जहाँ तक अपीलार्थियों द्वारा तर्क दिए गए पहले बिंदु का संबंध है, एन है, क्या राज्य के कानून में जिसमें दो प्रावधान हैंः एक

स्वयं), सूची या अनुसूची में समावेश, या सम्मिलनजिन पर (डीएसटी अधिनियम की धारा 4 की तरह) मौजूदा अधिसूचना में संशोधन किए बिना कर लगाया जा सकता है जिसमें शुल्क शामिल नहीं है (धारा 7 डीएसटी के तहत)

डी शुल्क विफल हो जाता है?

मेसर्स त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड। टीएचआर। इसके निदेशक श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल बनाम। जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. टी. आर. इसका प्रधान सचिव (वित्त) [एस. रवींद्र भाट, जे.]

54. इस अदालत के दो फैसलों राधेश्याम गुडाखू फैक्ट्री और कोठारी प्रोडक्ट्स के बीच स्पष्ट रूप से टकराव था।

एक ओर लिमिटेड (ऊपर), और दूसरी ओर डीलिंग डेयरी प्रोडक्ट्स (ऊपर), कृष्णा कुथर काबरा (ऊपर) और आगरा बेल्टिंग वर्क्स (ऊपर) दूसरे हाथ से। इस अदालत ने बाद के तीन फैसलों में कहा कि एक प्रविष्टि शुरू करने और इसे शुल्क के अधीन करने वाली अधिसूचना, जब पहले इसे कर कानून के एक अन्य भाग में छूट दी गई थी, तो इसका इरादा छूट को वापस लेना और बिक्री को बाद की अधिसूचना में निर्धारित दर पर कर के लिए देय बनाना था। अदालत ने इसे अनावश्यक माना कि "एक विशिष्ट या अलग अधिसूचना को वापस लेना या रद्द करना"

अधिसूचना जारी की जानी चाहिए। इस संघर्ष को संदर्भित किया गया था

पाँच न्यायाधीशों की बड़ी पीठ, त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस (पी) लिमिटेड बनाम। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 3 0 (एक मामला, जो वर्तमान बैच का हिस्सा है)। अदालत ने कहा कि आगरा बेल्टिंग वर्क्स (ऊपर) का फैसला किसी भी तरह से कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड (ऊपर) या राधेश्याम गुदाखु फैक्ट्री (ऊपर) के फैसले के विपरीत नहीं हैः

" हमारी सुविचारित राय में कोठारी उत्पाद (उपरोक्त) मामले और आगरा बेल्टिंग मामले के बीच कोई टकराव नहीं है। कोठारी उत्पाद (उपरोक्त) मामले इस सवाल पर थे कि क्या "तंबाकू" या एडीई अधिनियम की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट अन्य वस्तुओं और इसलिए राज्य बिक्री कर अधिनियमों के तहत बिक्री कर से छूट, को अनुसूची में संशोधन करके राज्य अधिनियमों के तहत कर के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है। दूसरी ओर, आगरा बेल्टिंग वर्क्स (उपरोक्त) मामले यू. पी. बिक्री कर अधिनियम की धारा 4 के तहत निर्दिष्ट वस्तुओं को बिक्री कर से सामान्य छूट और यू. पी. बिक्री कर अधिनियम की धारा 3-ए के तहत बिक्री कर की दरों के विनिर्देशन के बीच परस्पर क्रिया के सवाल पर थे। अधिनियम ने कहा।
इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 4 के तहत बिक्री कर से छूट प्राप्त वस्तुएं धारा 3-ए के तहत बाद की अधिसूचना के आधार पर कर के दायरे से बाहर होंगी, जिसमें धारा 4 के तहत छूट प्राप्त वस्तुओं के वर्ग की किसी भी विशिष्ट वस्तु के लिए बिक्री कर की दर निर्दिष्ट की गई है। कोई संघर्ष नहीं है, संदर्भ

संविधान पीठ अक्षम है "।

(उपरोक्त) मामलों की पंक्ति, इसलिए, संबंध के साथ आग्रह किए गए प्रश्न का समापन करती है।
30 [2022] 15 एससीआर 516: 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1247 [2023] 7 एस. सी. आर.

अनुसूची (ओं) में प्रविष्टियों के रूप में प्रस्तुत अधिसूचनाओं की प्रभावकारिता या वैधता और उन्हें कर के अधीन करने के लिए, जब वे वस्तुएं क़ानून का हिस्सा हैं या कर से छूट प्राप्त हैं। इसलिए, इस मुद्दे पर निर्धारिती की दलीलें विफल हो जाती हैं। 56. इस सवाल के बगल में कि क्या पान मसाला एक छूट प्राप्त वस्तु थी, "तंबाकू" होने के कारण, यह ध्यान देने योग्य है कि पान मसाला का पहली बार अध्याय 21 में, 1995 में सीईटी अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। नोट 3 ने 'पान मसाला' को "किसी भी तैयारी के रूप में परिभाषित किया है जिसमें सुपारी और निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक सामग्री, जैसे कि चूने, काठा (कैटेचू) और तंबाकू, जिसमें कोई अन्य सामग्री हो या न हो"। हालाँकि, उसी समय, अध्याय 24 में एक विशिष्ट प्रविष्टि "तंबाकू" थी जिसमें तंबाकू, निर्मित तंबाकू, विकल्प आदि की गणना की गई थी। उस समय प्रासंगिक उपशीर्षक 2404.41 था जिसमें चबाने वाले तंबाकू की गणना की गई थी, जिसमें आम तौर पर तैयार किए जाने वाले तंबाकू भी शामिल थे।

इसे खारा मसाला, किमम, डोक्टा, जरदा, सुखा और सुरती के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार, सी. ई. टी. अधिनियम ने स्वयं पान मसाला-चाहे उसमें तंबाकू हो या नहीं, और सभी प्रकार के तंबाकू के बीच अंतर किया। 1995 से ही सी. ई. टी. अधिनियम में पान मसाला (अध्याय 21) और तंबाकू (अध्याय 24) के बीच अंतर किया गया था। पान मसाला की परिभाषा में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसकी एक सामग्री तंबाकू होने के बावजूद, यह एक अलग वस्तु होगी। 57. इस अदालत को महालक्ष्मी ऑयल मिल्स (उपरोक्त) में तंबाकू की परिभाषा के संबंध में "शामिल" शब्द के प्रभाव पर विचार करना पड़ा।

विवाद यह था कि क्या "तंबाकू" शब्द और समावेशी खंड तंबाकू के बीजों को शामिल करने के लिए पर्याप्त था। इस अदालत ने कहा किः

" 14. तब क्या शब्द "तंबाकू" और "किसी भी रूप में" हो सकते हैं?

परिभाषा के पहले भाग में "तंबाकू" का एक व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए और इसे बीजों को शामिल करने के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए, विशेष रूप से क्योंकि यह "किसी भी रूप में तंबाकू, ठीक या बिना इलाज, निर्मित या बिना उत्पादन" की बात करता है? हमें नहीं लगता कि वे कई कारणों से हो सकते हैं। सबसे पहले, तंबाकू के बीज शायद ही कभी

किसी भी अभिव्यक्ति के विवरण का जवाब दें

" विनिर्मित तंबाकू "या अभिव्यक्ति" गैर-विनिर्मित तंबाकू "उनके सामान्य अर्थ में; और अभिव्यक्ति" ठीक या ठीक नहीं "को भी तंबाकू के बीजों से जोड़ा नहीं जा सकता है। परिभाषा के

पहले भाग में उपयोग की गई अभिव्यक्ति, हालांकि हर चौड़ी है, इसलिए, तंबाकू के बीजों को भी इसके दायरे में लेना अनुचित है।

दूसरा,/एस त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड। टीएचआर। इसके निदेशक श्री अदीप कुमार अग्रवाल बनाम। जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. टी. आर. इसका प्रधान सचिव (वित्त) [एस. रवींद्र भाट, जे.]

परिभाषा उत्पाद शुल्क लगाने वाले कानून में होती है जो है यह खेत में उगाए गए पौधे के भागों से संबंधित नहीं है, बल्कि उन भागों के उपयोग से संबंधित है जिन पर उन भागों को रखा जाता है या विच्छेदन के बाद रखा जा सकता है। विधायिका को इसके बारे में पता नहीं था

कि यदि तंबाकू के पौधे के पत्ते, डंठल और तनों का उपयोग ठीक किए गए तंबाकू, बिरयानी, सिगरेट के निर्माण के लिए किया जाता है और इसलिए, बीज का उपयोग तेल और केक बनाने के लिए भी किया जाता है। यह लेता है।

में उपयोग की जाने वाली पहली तीन वस्तुओं का उल्लेख करने की परवाह करें तम्बाकू सेवन के कुछ रूपों का निर्माण जो

भी गणना की जाती है लेकिन बीज का उल्लेख करने से बचते हैं जो

यह किया जाता अगर इसका उद्देश्य तेल को शामिल करना होता

और केक भी शुल्क के उद्देश्यों के लिए। श्रेणियां

परिभाषा की छाया पहले भाग पर भी पड़ती है। वास्तव में ऐसा लगता है कि परिभाषा के दूसरे भाग का उद्देश्य पहले भाग के दायरे का विस्तार करने के बजाय इसे सीमित करना है। तीसरी बात, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि परिभाषा का पहला भाग कुछ हद तक प्रतिबंधात्मक रूप से लिखा गया है।

58. पी. कासिलिंगम बनाम। पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी 3 1 इस अदालत ने एक ही सिद्धांत को निर्धारित किया है, अर्थात, जो शब्दों के संयोजन में उपयोग किया जाने वाला "शामिल" है, शब्द के प्राकृतिक महत्व का विस्तार करता है, इस हद तक कि यह

उन शब्दों को जोड़ती हैः

" "सम्मिलित" शब्द, जब उपयोग किया जाता है, तो इसका अर्थ बढ़ जाता है

उन चीज़ों को भी जिन्हें खंड घोषित करता है कि वे शामिल करें। दूसरी ओर, "अर्थ और शामिल" शब्द "अर्थ की एक विस्तृत व्याख्या" को इंगित करते हैं जो,

अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, सबसे अधिक अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाएगा

ये शब्द या अभिव्यक्तियाँ "[देखें]: दिलवर्थ वी. डाक टिकट आयुक्त, [1899] पीपी पर एसी 99। 105-106 (लॉर्ड वॉटसन); महालक्ष्मी ऑयल मिल्स बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य, [1989] 1

एस. सी. सी. 164, पी. 169) . "

59. इन निर्णयों का बाद के निर्णयों में पालन किया गया है

ठीक है; उनमें से एक पायनियर लैंड एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाम है। भारत संघ 3 2. इन कारणों से, पूरे (2001 तक), "पान मसाला" और चबाने वाले तंबाकू को अलग-अलग उपचार मिला है। वे नहीं हैं। विनिमेय या पर्यायवाची अभिव्यक्तियाँ। प्रविष्टि 2404 च्युइंग तंबाकू को संदर्भित करता है जिसमें आम तौर पर "खारा" के रूप में जानी जाने वाली तैयारी भी शामिल है।

मसाला "", किमम "", डोकता "", जरदा "", सुखा "और" सुरती "। गुडकू और स्नूफ़ को एक अलग शीर्षक के तहत निपटाया जाता है। अध्याय 24 में तंबाकू के साथ पान मसाला को शामिल करने और साथ ही साथ उस उत्पाद को अध्याय 21 से बाहर करने के साथ-साथ 2001 से 'तंबाकू युक्त पान मसाला' पर ए. डी. ई. लागू करने का मतलब था कि उत्पाद (यानी तंबाकू के बिना पान मसाला) पहली बार राज्य बिक्री कर की पहुंच से बाहर चला गया। पूरे समय, पान मसाला और गुटका के रूप में वर्णित वस्तुओं और उत्पादों को अध्याय 21 में शामिल किया गया था। इसलिए निष्कर्ष यह है कि 2001 तक और एडीई की शुरुआत तक, ये दोनों उत्पाद स्थानीय या बिक्री कर के दायरे में थे।

60. व्याख्या के सामान्य नियम (सी. ई. टी. अधिनियम के) जो उत्पादों के उचित वर्गीकरण का मार्गदर्शन करते हैं, अन्य बातों के साथ, प्रदान करते हैं किः

" पहली अनुसूची-आयात शुल्क (खंड 2 देखें)

इसके हस्तक्षेप के लिए सामान्य नियम

अनुसूची

इस अनुसूची में वस्तुओं का वर्गीकरण निम्न द्वारा नियंत्रित किया जाएगा -

निम्नलिखित सिद्धांतः

1. धाराओं, अध्यायों और उप-अध्यायों के शीर्षक केवल संदर्भ की सुगमता के लिए प्रदान किए गए हैं; कानूनी उद्देश्यों के लिए, वर्गीकरण शीर्षकों की शर्तों और किसी भी सापेक्ष धारा या अध्याय टिप्पणियों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा और बशर्ते कि ऐसे शीर्षकों या टिप्पणियों की अन्यथा आवश्यकता न हो।

निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार।
2. (क) किसी लेख के शीर्षक में कोई भी संदर्भ लिया जाएगा।

उस लेख के संदर्भ को अपूर्ण या अधूरा शामिल करना, बशर्ते कि, जैसा प्रस्तुत किया गया है, अपूर्ण या अपूर्ण लेख में पूर्ण या समाप्त लेख का आवश्यक चरित्र हो। इसे उस संदर्भ को शामिल करने के लिए भी लिया जाएगा।

लेख पूर्ण या समाप्त (या के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है)

32 [2019] 10 एससीआर 381:

(2019) 8 एस. सी. सी. 416/एस. त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड। टीएचआर। इसके निदेशक श्री अदीप कुमार अग्रवाल बनाम। जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. टी. आर. इसका प्रधान सचिव (वित्त) [एस. रवींद्र भाट, जे.]

पूर्ण या, इस नियम के आधार पर समाप्त), प्रस्तुत

असंबद्ध या असंबद्ध। (ख) किसी सामग्री या पदार्थ के शीर्षक में कोई संदर्भ

मिश्रण के संदर्भ को शामिल करने के लिए लिया जाएगा या

उस सामग्री या पदार्थ का अन्य पदार्थों के साथ संयोजन

पदार्थ या पदार्थ। किसी दिए गए माल का कोई संदर्भ

सामग्री या पदार्थ को एक संदर्भ को शामिल करने के लिए लिया जाएगा

ऐसी सामग्री जिसमें पूरी तरह से या आंशिक रूप से ऐसी सामग्री शामिल हो या

पदार्थ। एक से अधिक सामग्री या पदार्थ वाली वस्तुओं का वर्गीकरण सिद्धांतों के अनुसार होगा। नियम 3.

3. जब नियम 2 (बी) के अनुप्रयोग द्वारा या किसी अन्य कारण से, माल, प्रथम दृष्टया, दो या दो से अधिक के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।

शीर्षकों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाएगाः -

(क) सबसे विशिष्ट विवरण प्रदान करने वाले शीर्षक को अधिक सामान्य विवरण प्रदान करने वाले शीर्षकों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी। वर्णन करें। हालांकि, जब दो या दो से अधिक शीर्षकों में से प्रत्येक मिश्रण में निहित सामग्री या पदार्थों के केवल एक हिस्से को संदर्भित करता है।

या मिश्रित माल या केवल खुदरा बिक्री के लिए रखे गए सेट में वस्तुओं के हिस्से के लिए, उन शीर्षकों को समान रूप से माना जाना चाहिए।

उन वस्तुओं के संबंध में विशिष्ट, भले ही उनमें से एक माल का अधिक पूर्ण या सटीक विवरण दे।

(ख) मिश्रण, विभिन्न सामग्रियों से युक्त या विभिन्न घटकों से बने मिश्रित सामान, और खुदरा बिक्री के लिए सेट में रखे गए सामान, जिन्हें (क) के संदर्भ में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, को इस तरह वर्गीकृत किया जाएगा जैसे कि वे सामग्री या घटकों से बने हों।

घटक जो उन्हें उनका आवश्यक चरित्र देता है, जहाँ तक

क्योंकि यह मानदंड लागू होता है।

(ग) जब वस्तुओं को (क) या (ख) के संदर्भ में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें उन शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया जाएगा जो समान रूप से योग्य लोगों के बीच संख्यात्मक क्रम में अंतिम स्थान पर आते हैं।

विचार करें।

61. केंद्रीय उत्पाद शुल्क नागपुर के कलेक्टर बनाम। सिम्प्लेक्स मिल्स टीडी 3 3 133 इस अदालत ने व्याख्यात्मक नियमों की भूमिका को रेखांकित कियाः

5] 2 एससीआर 441: (2005) 3 एससीसी 51 [2023] 7 एस. सी. आर.

" [.....] कानूनी उद्देश्यों के लिए, वर्गीकरण "निर्धारित किया जाएगा।

शीर्षकों की शर्तों और किसी भी प्रासंगिक के अनुसार

खंड या अध्याय टिप्पणियाँ "। यदि न तो शीर्षक और न ही नोट्स किसी शीर्षक के दायरे को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं, तो यह होना चाहिए

निम्नलिखित अन्य प्रावधानों के अनुसार समझा गया

नियमों में निहित। नियम 1 शीर्षक की शर्तों के साथ खंड और अध्याय टिप्पणियों को प्रधानता देता है। उन्हें पहले लागू किया जाना चाहिए। यदि कोई स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आती है तो केवल कोई व्यक्ति ही बाद के नियमों का सहारा ले सकता है। अपीलार्थी ने नियम 3 पर भरोसा किया है। नियम 3 को केवल नियम 2 के उप-नियम (बी) के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जो अन्य बातों के साथ कहता है कि एक से अधिक सामग्री या पदार्थ से युक्त वस्तुओं का वर्गीकरण नियम 3 में निहित सिद्धांतों के अनुसार होगा। इसलिए जब माल प्रथम दृष्टया वर्गीकृत किया जा सकता है

नियम 3 के उप-नियम (ए), (बी) और (सी) के अनुसार और आदेश "।

62. व्याख्यात्मक नियमों के एक सादे अनुप्रयोग पर, विशेष रूप से नियम 3 (ए) यह स्पष्ट है कि शीर्षक जो सबसे सटीक प्रदान करता है

वर्णन का पालन करना होगा। वर्तमान मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2001 से पहले, पान मसाला और गुटका पान मसाला के रूप में अध्याय 21 के भीतर आते थे, भले ही उनमें तंबाकू हो। अध्याय 24 के तहत वर्गीकृत की जाने वाली वस्तुएं, यानी तंबाकू की वस्तुएं अधिक सामान्य थीं।

उन्होंने पान मसाला भी शामिल नहीं किया। 63. जहां तक कर की दर के सवाल का सवाल है, धारा 15 सी. एस. टी. अधिनियम के तहत प्रतिबंधों को देखते हुए, न तो गुटका और न ही पान मसाला

सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 14 के तहत "घोषित माल" थे। सीईटी अधिनियम में संशोधन धारा 14 (ix) का हिस्सा नहीं बना। सी. ई. टी. अधिनियम के प्रासंगिक उप-शीर्षकों के तहत माल सी. एस. टी. अधिनियम की घोषित वस्तुओं की सूची में अनुपस्थित थे; वे वित्त अधिनियम, 1988 में पेश किए गए प्रावधानों का हिस्सा नहीं थे। इसलिए, बाद के परिवर्तन सी. ई. टी. अधिनियम में 2404.40 को लागू करने से सी. एस. टी. अधिनियम प्रभावित या परिवर्तित नहीं होता है। नतीजतन, जहां तक सी. एस. टी. अधिनियम का संबंध है, गुटका और पान मसाला उपशीर्षक 2404.40 के अंतर्गत नहीं

आते हैं। परिणामस्वरूप निर्धारिती के तर्क कि स्थानीय कर की दर सी. एस. टी. अधिनियम के तहत सीमा से अधिक नहीं हो सकती है, को अपरिवर्तित के रूप में खारिज कर दिया जाता है।

मेसर्स त्रिमूर्ति फ्रैग्रेन्स (पी) लिमिटेड। टीएचआर। इसके निदेशक श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल बनाम। जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी. टी. आर. इसका प्रधान सचिव (वित्त) [एस. रवींद्र भाट, जे.]

दिव्या पांडे

(शेवाली मोंगा, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)